

# भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

## धाराओं का क्रम

### धाराएं

#### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

#### अध्याय 2

#### स्टाम्प-शुल्क

#### क—लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व

3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें ।
- 3क. [निरसित] ।
4. विक्रय, बन्धक या व्यवस्थापन के एकल संव्यवहार में प्रयोग में लाई गई कई लिखतें ।
5. कई सुभिन्न मामलों से संबंधित लिखतें ।
6. अनुसूची 1 में विभिन्न वर्णनों में आने वाली लिखतें ।
7. समुद्रीय बीमा पालिसियां ।
8. 1879 के अधिनियम सं० 11 के अधीन उधार पर निर्गमित बंध-पत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ।
- 8क. निक्षेपागार में व्यवहृत प्रतिभूतियों का स्टाम्प शुल्क के लिए दायी न होना ।
- 8ख. कोई निगमीकरण और गैर पारस्परिकरण स्कीमें और संबंधित लिखतों का शुल्क के लिए दायी न होना ।
- 8ग. परक्राम्य भाण्डागार, रसीदों का स्टाम्प शुल्क के दायित्वाधीन न होना ।
- 8घ. प्राप्तियों के समनुदेशन के संबंध में स्टाम्प शुल्क के लिए गैर-दायी करार या दस्तावेज ।
- 8ङ. किसी बैंक की शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन का या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी में अंतरण का शुल्क के लिए दायी न होना ।
- 8च. वित्तीय आस्तियों के अंतरण या उसमें के अधिकारों अथवा हित के समनुदेशन के लिए करार या दस्तावेज का स्टाम्प ड्यूटी के लिए दायी न होना ।
9. शुल्कों को कम करने, उससे छूट देने या उसका प्रशमन करने की शक्ति ।

#### ख—स्टाम्प और उनके उपयोग की रीति

10. शुल्क कैसे दिए जाएंगे ।
11. चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग ।
12. चिपकने वाले स्टाम्पों का रद्दकरण ।
13. द्वापित स्टाम्प लगी हुई लिखतें कैसे लिखी जाएंगी ।
14. एक स्टाम्प पर केवल एक ही लिखत रहेगी ।
15. धारा 13 या 14 के प्रतिकूल लिखी गई लिखत अस्टाम्पित समझी जाएगी ।
16. शुल्क द्योतक करना ।

## धाराएं

### ग—लिखतों को स्टाम्पित करने का समय

17. भारत में निष्पादित की गई लिखतें ।
18. विनिमय-पत्रों और वचन-पत्रों से भिन्न लिखतें जो भारत के बाहर निष्पादित की गई हैं ।
19. भारत के बाहर लिखे गए विनिमय-पत्र और वचन-पत्र ।
20. विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त रकम का संपरिवर्तन ।
21. स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा ।
22. विनिमय दर विषयक या औसत कीमत विषयक विवरण का प्रभाव ।
23. वे लिखतें जिनमें व्याज के लिए उपबन्ध है ।
- 23क. विपण्य प्रतिभूतियों के बंधकों से संबंधित कतिपय लिखतों का करार के रूप में प्रभार्य होना ।
24. किसी ऋण के प्रतिफलस्वरूप अथवा भविष्य में संदाय की शर्त वाले अंतरण आदि किस प्रकार प्रभारित किए जाएंगे ।
25. वार्षिकी, आदि की दशा में मूल्यांकन ।
26. स्टांप, जहां कि विषयवस्तु का मूल्य अनवधार्य है ।
27. शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना ।
28. कतिपय हस्तांतरण-पत्रों की दशा में शुल्क के बारे में निदेश ।

### ड—शुल्क किसके द्वारा देय है

29. शुल्क किसके द्वारा देय है ।
30. कतिपय मामलों में रसीद देने के लिए बाध्यता ।

## अध्याय 3

### स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन

31. समुचित स्टांप के बारे में न्यायनिर्णयन ।
32. कलक्टर द्वारा प्रमाणपत्र ।

## अध्याय 4

### सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें

33. लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना ।
34. अस्ताम्पित रसीदों के बारे में विशेष उपबन्ध ।
35. सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य, आदि में अग्राह्य हैं ।
36. लिखत का ग्रहण कहां प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
37. अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण ।
38. परिबद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जाएंगी ।
39. धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन दी गई शास्ति वापस लौटा देने की कलक्टर की शक्ति ।
40. परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति ।
41. घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें ।
42. उन लिखतों को पृष्ठांकित करना जिन पर धारा 35, 40 या 41 के अधीन शुल्क दिया जा चुका है ।
43. स्टांप विधि के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन ।
44. शुल्क या शास्ति देने वाले व्यक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूल कर सकेंगे ।
45. कतिपय मामलों में शास्ति या अतिरिक्त शुल्क वापस लौटा देने की राजस्व प्राधिकारी की शक्ति ।

**धाराएं**

- 46. धारा 38 के अधीन भेजी गई लिखतों का खो जाने के लिए अदायित्व ।
- 47. बिना स्टाम्प लगे विनिमय-पत्र और वचन-पत्र उपस्थित किए जाने पर अदायगी करने वाले की स्टाम्प लगाने की शक्ति ।
- 48. शुल्कों और शास्तियों की वसूली ।

**अध्याय 5****कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट**

- 49. खराब हो गए स्टाम्पों के लिए छूट ।
- 50. धारा 49 के अधीन राहत दिए जाने के लिए आवेदन कब किया जाएगा ।
- 51. छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो ।
- 52. गलती से उपयोग किए गए स्टाम्पों के लिए छूट ।
- 53. खराब हो गए या गलती से उपयोग किए गए स्टाम्पों के लिए छूट किस प्रकार दी जाएगी ।
- 54. उन स्टाम्पों के लिए छूट, जो उपयोग में नहीं लाने हैं ।
- 54क. आनों में अभिहित मूल्य वाली स्टाम्पों मद्धे मोक ।
- 54ख. शरणार्थी सहायता स्टाम्पों के लिए मोक ।
- 55. कतिपय डिबेंचरों के नवीकरण पर मोक ।

**अध्याय 6****निर्देश और पुनरीक्षण**

- 56. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का नियंत्रण और उसे मामले का कथन ।
- 57. उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन ।
- 58. कथित मामले के बारे में अतिरिक्त विशिष्टियों की मांग करने की उच्च न्यायालय की शक्ति ।
- 59. कथित मामले के निपटाने की प्रक्रिया ।
- 60. उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों द्वारा मामलों का कथन ।
- 61. स्टाम्पों की पर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण ।

**अध्याय 7****दांडिक अपराध और प्रक्रिया**

- 62. ऐसी लिखत के, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, निष्पादन, आदि के लिए शास्ति ।
- 63. चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिए शास्ति ।
- 64. धारा 27 के उपबन्धों का अनुपालन करने में लोप करने के लिए शास्ति ।
- 65. रसीद देने से इंकार करने के लिए और रसीदों पर शुल्क का अपवंचन करने की युक्तियों के लिए शास्ति ।
- 66. पालिसी न लिखने या पालिसी जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, लिखने के लिए शास्ति ।
- 67. विनिमय-पत्रों या सामुद्रिक पालिसियों को जिनका संवर्गों में होना तात्पर्यित है, पूरी संख्या में न लिखने के लिए शास्ति ।
- 68. राजस्व विभाग को धोखा देने के लिए विनिमय-पत्रों पर आगे की तारीख डालने या अन्य युक्तियों के लिए शास्ति ।
- 69. स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम के भंग के और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति ।
- 70. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन ।
- 71. मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता ।
- 72. विचारण का स्थान ।

धाराएं

अध्याय 8

अनुपूरक उपबन्ध

73. पुस्तकें आदि, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।
74. स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति ।
75. साधारणतः अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति ।
76. नियमों का प्रकाशन ।
- 76क. कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
77. न्यायालय फीस के बारे में व्यावृत्ति ।
- 77क. कतिपय स्टाम्पों के बारे में व्यावृत्ति ।
78. अधिनियम का अनुवाद किया जाना और सस्ते बेचे जाना ।
79. [निरसित ।]
- अनुसूची 1—लिखतों पर स्टाम्प शुल्क ।
- अनुसूची 2—[निरसित ।]

# भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

(1899 का अधिनियम संख्यांक 2)<sup>1</sup>

[27 जनवरी, 1899]

स्टाम्पों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम

स्टाम्पों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है:—

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 है।

<sup>2</sup>[(2) इसका विस्तार <sup>3</sup>\*\*\*\* सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह <sup>4</sup>[उन राज्यक्षेत्रों को, जो 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन के ठीक पहले (जम्मू-कश्मीर राज्य को अपवर्जित करके) भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबंध संविधान की सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बारे में स्टाम्प शुल्क की दरों से संबंधित है।]

(3) यह 1899 के जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो—

<sup>5</sup>[(1क) “आबंटन सूची” से ऐसी सूची अभिप्रेत है जिसमें निक्षेपगार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन निर्गमकर्ता द्वारा निक्षेपगार को प्रज्ञापित प्रतिभूतियों के आबंटन के ब्यौरे अंतर्वि-ट हों;

(1क) “बैंककार” के अंतर्गत बैंक और बैंककार के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति;]

(2) विनिमय-पत्र—“विनिमय-पत्र” से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) में यथापरिभाषित विनिमय-पत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हुंडी और कोई अन्य दस्तावेज भी है जो किसी व्यक्ति को, चाहे उसमें वह नामित हो या न हो, किसी अन्य व्यक्ति से किसी धनराशि का संदाय पाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति पर किसी धनराशि का लेखीवाल होने के लिए हकदार बनाती है या हकदार बनाने के लिए तात्पर्यित है;

(3) मांग पर देय विनिमय-पत्र—“मांग पर देय विनिमय-पत्र” के अन्तर्गत—

(क) ऐसा कोई आदेश है जो किसी विनिमय-पत्र या वचन-पत्र द्वारा कोई धनराशि देने के लिए है, या कोई धनराशि चुकाने के लिए कोई विनिमय-पत्र या वचन-पत्र परिदान करने के लिए है या किसी विशिष्ट निधि में से, जो चाहे उपलब्ध हो या न हो या ऐसी शर्त पर, जिसका पालन किया जा सके या न किया जा सके या ऐसी अनिश्चित घटना पर, जो घटित हो या न हो, कोई धनराशि देने के लिए है;

(ख) ऐसा आदेश भी है जो साप्ताहिक, मासिक या किसी या अन्य कथित कालावधि पर कोई धनराशि देने के लिए है; और

<sup>1</sup> प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1898, भाग 5, पृष्ठ 231; और परिषद् में की कार्यवाहियों के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1898, भाग 6, पृष्ठ 10 तथा 278 और भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1899, भाग 6, पृष्ठ 5।

इस अधिनियम का भागतः विस्तार बरार पर बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा किया गया है और इसे 1899 के विनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा यथासंशोधित संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगनों में; आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में, और पन्थ पिपलोदा विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) की धारा 2 द्वारा पन्थ पिपलोदा में प्रवृत्त घोषित किया गया है।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3 (क) के अधीन इस अधिनियम को गंजम, विजगापट्टम और पूर्वी गोदावरी अनुसूचित जिलों में घोषित किया गया है, देखिए फोर्ट सेन्ट जार्ज गजट, 1927, भाग 1, पृष्ठ 684 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 121, तारीख 25 अप्रैल, 1927, उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 और 5क के अधीन इसका विस्तार, कतिपय उपान्तरो सहित, खासी और जयंतीया पहाड़ी, गारो पहाड़ी, लुशाई पहाड़ी तथा नागा पहाड़ी जिलों पर और कछार जिले के उत्तरी कछार सब-डिवीजन, सिनसागर तथा नौगांव जिलों में मिकिर पहाड़ी भू-भाग और लखिमपुर फ्रन्टियर भू-भाग पर भी किया गया है, देखिए असम राजपत्र, 1930, भाग 2, पृष्ठ 700 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1541-एफ (ए) तारीख 10 अप्रैल, 1930।

इस अधिनियम का, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर, 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा गोवा, दमण और दीव पर और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्कादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप पर, विस्तार किया गया।

<sup>2</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 3 द्वारा (1 अप्रैल, 1956 से) पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> विधि अनुकूलन आदेश (सं० 2), 1956 द्वारा “भाग ख राज्यों को” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) ऐसा प्रत्यय-पत्र, अर्थात् कोई ऐसी लिखत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह लिखी गई है, प्रत्यय देने के लिए प्राधिकृत करता है;

(4) **वहन-पत्र**—“वहन-पत्र” के अन्तर्गत पारगामी वहन-पत्र है किन्तु इसके अन्तर्गत मेट की रसीद नहीं है;

(5) **बंध-पत्र**—“बंध-पत्र” के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्य करता है कि यदि विनिर्दिष्ट कार्य, यथास्थिति, किया गया या नहीं किया गया तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी,

(ख) कोई लिखत जो किसी साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित है और जो आदेशानुसार या वाहक को देय नहीं है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धनराशि देने के लिए अपने को बाध्य करता है, और

(ग) कोई लिखत जो इस प्रकार अनुप्रमाणित है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनाज या अन्य कृषि उपज परिदत्त करने के लिए अपने को बाध्य करता है;

<sup>1</sup>[किंतु इसके अंतर्गत कोई डिबेंचर नहीं है;]

(6) **प्रभार्य**—“प्रभार्य” से वहां जहां कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई किसी लिखत को लागू है, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य अभिप्रेत है, तथा वहां जहां कि वह किसी अन्य लिखत को लागू है उस समय, जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी या वहां जहां कि लिखत कई व्यक्तियों द्वारा विभिन्न समयों पर निष्पादित की गई थी उस समय, जब वह प्रथम बार निष्पादित की गई थी, <sup>2</sup>[भारत] में प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य अभिप्रेत है;

(7) **चैक**—“चैक” से ऐसा विनिमय-पत्र अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है और जिसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है;

<sup>1</sup>[(7क) “समाशोधन सूची” से इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी समाशोधन निगम को प्रस्तुत स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार की गई संविदाओं से संबंधित विक्रय और क्रय के संव्यवहारों की सूची अभिप्रेत है;

(7ख) “समाशोधन निगम” से प्रतिभूतियों या अन्य लिखतों के संव्यवहारों के समाशोधन और व्यवस्थापन के क्रियाकलापों को करने के लिए स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन गृह भी है;]

3\*

\*

\*

\*

(9) **कलक्टर**—“कलक्टर” से,—

(क) कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों की सीमाओं के भीतर, क्रमशः कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई का कलक्टर, और उन सीमाओं के बाहर, जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, और

(ख) इसके अन्तर्गत, उपायुक्त और ऐसा कोई अधिकारी है, जिसे <sup>4</sup>[<sup>5</sup>राज्य सरकार]] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे;

(10) **हस्तांतरण-पत्र**—“हस्तांतरण-पत्र” के अन्तर्गत विक्रय पर हस्तांतरण-पत्र है और ऐसी प्रत्येक लिखत है, जिसके द्वारा संपत्ति चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरित की जाती है और जिसके लिए प्रथम अनुसूची द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट उपबन्ध नहीं किया हुआ है;

<sup>1</sup>[(10) “डिबेंचर” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) डिबेंचर स्टॉक, किसी कंपनी का ऐसा बंधपत्र या कोई अन्य लिखत, जो किसी ऋण का साक्ष्य है, चाहे उससे कंपनी की आस्तियां पर कोई भार गठित होता है या नहीं;

(ii) किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय द्वारा निर्गमित डिबेंचर की प्रकृति के बंधपत्र;

(iii) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज और वर्ग तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाले ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए;

(iv) प्रतिभूति ऋण लिखतें; और

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1 अप्रैल, 1956 से) “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (8) का लोप किया गया ।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य लिखतें;  
(10ख) “निक्षेपागार” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में यथापरिभाषित कोई निक्षेपागार; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निक्षेपागार के रूप में घोषित कोई अन्य इकाई;]

(11) **सम्यक् रूप से स्टाम्पित**—“सम्यक् रूप से स्टाम्पित” से जब कि वह किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह अभिप्रेत है कि समुचित रकम से अन्यून रकम का आसंजक या छापित स्टाम्प, उस लिखत पर लगा हुआ है ऐसा स्टाम्प <sup>1</sup>[भारत] में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है;

(12) **निष्पादित और निष्पादन**—“निष्पादित और निष्पादन” से जब कि उसका प्रयोग लिखतों के सम्बन्ध में किया गया है, “हस्ताक्षरित” और “हस्ताक्षर” अभिप्रेत है; <sup>1</sup>[और इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 11 के अर्थान्तर्गत इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिकार भी है]

2\*

\*

\*

\*

\*

(13) **छापित स्टॉप**—“छापित स्टॉप” के अन्तर्गत निम्नलिखित है,—

(क) उचित अधिकारी द्वारा लगाए गए और छापित लेबल, और

(ख) स्टॉपित कागज पर सभुद्भूत या उत्कीर्ण स्टॉप;

<sup>3</sup>[(13क) **भारत**—“भारत” से जम्मू-कश्मीर राज्य को अपवर्जित कर, भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;]

<sup>4</sup>[(14) “लिखत” के अंतर्गत निम्नलिखित है,—

(क) ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सूट अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है;

(ख) किसी स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के संव्यवहार के लिए इलैक्ट्रानिक या इससे अन्यथा कोई ऐसा दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सूट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है; और

(ग) अनुसूची 1 में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज,

किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी लिखतें नहीं हैं, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएं;]

(15) **विभाजन की लिखत**—“विभाजन की लिखत” से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वामी ऐसी सम्पत्ति को अलग-अलग विभाजित करते हैं या विभाजित करने का करार करते हैं, और इसके अन्तर्गत किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने के लिए पारित किया गया अंतिम आदेश तथा किसी मध्यस्थ द्वारा विभाजन का निदेश करने वाला पंचाट है;

<sup>1</sup>[(15क) “निर्गमकर्ता” से प्रतिभूतियों का निर्गम करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;]

(16) **पट्टा**—“पट्टा” से स्थावर सम्पत्ति का पट्टा अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) पट्टा,

(ख) किसी स्थावर सम्पत्ति पर खेती करने, उस पर अधिभोग रखने या उसके लिए भाटक का संदाय या परिदान करने के लिए कोई लिखत कबूलियत या कोई अन्य वचनबन्ध, जो पट्टे का प्रतिलेख नहीं है;

(ग) कोई लिखत जिसके द्वारा किसी प्रकार के पथ-कर पट्टे पर उठाए जाते हैं;

(घ) पट्टे के लिए आवेदन पर कोई लेखन, जिससे यह संज्ञापित करना आशयित है कि आवेदन मंजूर कर लिया गया है;

<sup>5</sup>[(16क) **विपण्य प्रतिभूति**—[“विपण्य प्रतिभूति” से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किए जाने योग्य है;

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (12क) का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा लोप किया गाय ।

<sup>3</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 4 द्वारा (1 अप्रैल, 1956 से) अन्तःस्थापित ।

<sup>4</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

(16ख) “बाजार मूल्य” से, किसी ऐसी लिखत के संबंध में, जिसके माध्यम से,—

(क) किसी स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रतिभूति का व्यापार किया जाता है, ऐसी कीमत अभिप्रेत है, जिस पर उसका इस प्रकार व्यापार किया जाता है;

(ख) कोई प्रतिभूति, जिसका किसी निक्षेपागार के माध्यम से अंतरिण किया जाता है, किंतु स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐसी लिखत में वर्णित कीमत या प्रतिफल अभिप्रेत है;

(ग) किसी प्रतिभूति का, जिसे स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार से भिन्न किसी स्थान में व्यवहृत किया जाता है, ऐसी लिखत में वर्णित कीमत या प्रतिफल अभिप्रेत है;]

(17) **बन्धक विलेख**—“बन्धक विलेख” के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक लिखत है जिसके द्वारा इस प्रयोजन से कि उधार के तौर पर दी गई या दी जाने वाली धनराशि को या किसी वर्तमान या भावी ऋण को या किसी वचनबन्ध का पालन किए जाने को प्रतिभूत किया जाए कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर या तद्विषयक कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके पक्ष में अन्तरित या सृजित करता है;

(18) **कागज**—“कागज” के अन्तर्गत नकली चमड़ा, चिमड़ा कागज या कोई अन्य सामग्री है जिस पर कोई लिखत लिखी जा सकती है;

(19) **बीमा पालिसी**—“बीमा पालिसी” के अन्तर्गत है—

(क) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, किसी प्रीमियम के प्रतिफलस्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति किसी दूसरे अज्ञात या आकस्मिक घटना से उद्भूत होने वाले नुकसान, हानि या दायित्व लेखे करने का वचनबन्ध करता है,

(ख) जीवन पालिसी तथा किसी व्यक्ति का दुर्घटना या बीमारी विषयक बीमा करने वाली कोई पालिसी और कोई अन्य वैयक्तिक बीमा; 1\*\*\*

3\*

\*

\*

\*

2[(19क) **सामूहिक बीमा पालिसी**—“सामूहिक बीमा पालिसी” से पचास का अथवा इतनी लघुतर संख्या का, जितनी केन्द्रीय सरकार या तो साधारणतः या किसी विशिष्ट मामले में अनुमोदित करे, बीमा करने वाली ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिससे बीमाकर्ता ने उस प्रीमियम के प्रतिफल के तौर पर, जो नियोजक द्वारा अथवा संयुक्ततः नियोजक और उसके कर्मचारियों द्वारा दिया जाता है अपने को वचनबद्ध किया है कि सब कर्मचारियों अथवा उनके किसी वर्ग के जो नियोजन सम्बन्धी शर्तों के आधार पर अवधारित किया जाएगा, जीवनो का बीमा उनकी चिकित्सीय परीक्षा करा कर या कराए बिना तथा नियोजक से भिन्न व्यक्तियों के ही फायदे के लिए उस बीमा रकम के लिए किया है जो ऐसी योजना पर आधृत है जिससे व्यक्तिगत चयन प्रवारित हो जाता है;]

(20) **समुद्रीय बीमा पालिसी या समुद्रीय पालिसी**—“समुद्रीय बीमा पालिसी” या “समुद्रीय पालिसी” से—

(क) कोई ऐसी बीमा अभिप्रेत है जो किसी पोत या जलयान का (चाहे वह समुद्रीय या अन्तर्देशीय नौपरिवहन के लिए हों) या किसी पोत या जलयान की मशीनरी, टैकल या फर्नीचर का या किसी पोत या जलयान के फलक पर के किसी भी प्रकार के माल, वाणिज्या या सम्पत्ति का या किसी पोत या जलयान में था उससे सम्बन्धित किसी माल भाड़ा या अन्य किसी हित का, जिसका विधिपूर्वक बीमा किया जा सकता है, किया गया है; और

(ख) इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अभिवहन के लिए माल, वाणिज्या या सम्पत्ति का कोई बीमा है और इसके अन्तर्गत न केवल खण्ड (क) के अर्थ में समुद्री जोखिम हो जाता है किन्तु उसमें अभिवहन का कोई अन्य ऐसा आनुषंगिक जोखिम भी है, जिसके लिए बीमा उस अभिवहन के प्रारंभ होने से अंतिम गंतव्य स्थान तक के लिए है जो उस बीमे के अन्तर्गत पड़ता है;

जहां कि कोई व्यक्ति, अतिरिक्त माल के भाड़े के लिए या अन्यथा दी गई या दी जाने वाली किसी धनराशि के प्रतिफल के तौर पर इस बात के लिए करार करता है कि जब तक माल, वाणिज्या या सम्पत्ति चाहे वह कैसी क्यों न हो, किसी पोत या जलयान के फलक पर रहेगी तब तक उसे होने वाली जोखिम का दायित्व मुझ पर होगा या यह वचनबन्ध करता है कि ऐसे किसी माल, वाणिज्या या सम्पत्ति की किसी जोखिम, हानि या नुकसान के लिए उस माल, वाणिज्या या सम्पत्ति के स्वामी की क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, वहां ऐसे करार या वचनबन्ध की बाबत यह समझा जाएगा कि वह समुद्रीय बीमा के लिए संविदा है;

<sup>1</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा उपखण्ड (ग) तथा उससे पूर्वयोजित “और” शब्द का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 4 द्वारा (1 अप्रैल, 1956 से) अन्तःस्थापित ।



(21) **मुख्तारनामा**—“मुख्तारनामा” के अन्तर्गत (तत्समय प्रवृत्त न्यायालय-फीस से संबंधित विधि के अधीन किसी फीस से प्रभार्य न होने वाली) ऐसी लिखत अभिप्रेत है जो उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति की ओर से उसके नाम से कार्य करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सशक्त करती है;

(22) **वचन-पत्र**—“वचन-पत्र” से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) द्वारा यथापरिभाषित वचन-पत्र अभिप्रेत है;

इसके अन्तर्गत ऐसा पत्र है जिसमें यह वचन दिया गया है कि कोई धनराशि किसी विशिष्ट निधि में से, जो उपलब्ध हो या न हो ऐसी शर्त पर, जिसका पालन किया जा सके या न किया जा सके, या ऐसी अनिश्चित घटना पर, जो घटित हो या न हो, दी जाएगी;

(23) **रसीद**—“रसीद” के अंतर्गत कोई पत्र, जापन या लेखन है—

(क) जिसके द्वारा किसी धनराशि या किसी विनियम-पत्र, चैक या वचन-पत्र के प्राप्त किए जाने की अभिस्वीकृति दी गई है, या

(ख) जिसके द्वारा कोई अन्य जंगम सम्पत्ति किसी ऋण की अदायगी में प्राप्त हो जाने की अभिस्वीकृति दी गई है, या

(ग) जिसके द्वारा किसी ऋण या मांग या ऋण या मांग के किसी भाग की अदायगी हो जाने या उन्मोचित किए जाने की अभिस्वीकृति दी गई है, या

(घ) जो किसी ऐसी अभिस्वीकृति को संज्ञापित या द्योतित करती है, और चाहे वह किसी व्यक्ति के नाम से हस्ताक्षरित हो या न हो; <sup>1</sup>\*\*\*

<sup>2</sup>[(23) “प्रतिभूतियों” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45प के खंड (क) में यथा परिभाषित कोई “व्युत्पन्नी”

(iii) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज, निगम बंधपत्र पर रेपो और एक वर्ग तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाली ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए; और

(iv) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कोई अन्य लिखत; ]

(24) **व्यवस्थापन**—“व्यवस्थापन” से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का कोई ऐसा लिखत अवसीयती व्ययन अभिप्रेत है जो—

(क) विवाह के प्रतिफल के लिए किया गया है, या

(ख) व्यवस्थापक की सम्पत्ति को उसके कुटुम्ब के या उन व्यक्तियों के बीच, जिनके लिए वह व्यवस्था करना चाहता है या वितरित करने के प्रयोजन के लिए या उस पर आश्रित व्यक्ति के लिए व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए किया गया है, या

(ग) धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया है,

और इसके अन्तर्गत ऐसा व्ययन करने के लिए कोई लिखत करार है <sup>3</sup>[और जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखत में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे व्ययन के निबन्धनों को चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत है]; <sup>4</sup>\*\*\*

<sup>5</sup>[(25) **सैनिक**—“सैनिक” के अन्तर्गत अनायुक्त आफिसर से निम्न रैंक का कोई व्यक्ति है जो इंडियन आर्मी ऐक्ट, 1911<sup>6</sup> (1911 का 8) के अधीन अभ्याविष्ट किया गया है;]

<sup>1</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित “और” शब्द का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा जोड़ा गया।

<sup>6</sup> अब देखिए सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46)।

1\*

\*

\*

\*

<sup>2</sup>[(26) “स्टांप” से कोई चिह्न, मुद्रा या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए कोई आसंजक या छापित स्टाम्प भी है।]

<sup>3</sup>[(27) “स्टाक एक्सचेंज” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित कोई मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंज; और

(ii) प्रतिभूतियों में व्यौहार हेतु व्यापार करने या रिपोर्ट करने हेतु ऐसा अन्य प्लेटफार्म, जिस केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]

## अध्याय 2

### स्टाम्प-शुल्क

#### क—लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व

**3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें**—इस अधिनियम के उपबन्धों और अनुसूची 1 में अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गई हैं, अर्थात्:—

(क) उस अनुसूची में वर्णित हर लिखत जो किसी व्यक्ति द्वारा पहिले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि 1899 की जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् <sup>4</sup>[भारत] में निष्पादित की गई;

(ख) ऐसा हर विनियम-पत्र <sup>5</sup>[जो मांग से अन्यथा देय है,] <sup>6</sup>\*\*\* या वचन-पत्र जो उस दिन को या उसके पश्चात् <sup>1</sup>[भारत] के बाहर लिखा या बनाया गया है और <sup>1</sup>[भारत] में प्रतिगृहीत या संदत्त किया गया है अथवा प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थित किया गया है अथवा पृष्ठांकित, अंतरित या अन्य प्रकार से प्रक्रामित किया गया है; और

(ग) (विनियम-पत्र <sup>3</sup>\*\*\* या वचन-पत्र से भिन्न), ऐसी हर लिखत, जो उस अनुसूची में वर्णित है, और जो किसी व्यक्ति द्वारा पहिले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि उस दिन को या उसके पश्चात् <sup>1</sup>[भारत] के बाहर निष्पादित की गई है और किसी ऐसी सम्पत्ति से, जो <sup>1</sup>[भारत] में स्थित है या किसी को ऐसी बात या चीज से जो <sup>1</sup>[भारत] में की गई है या की जाने वाली है सम्बन्धित है, और <sup>1</sup>[भारत] में प्राप्त की गई है :

परन्तु कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य न होगा :—

(1) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर, उन दशाओं में जिनमें, इस छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती;

(2) कोई लिखत जो पश्चात्पूर्ति अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1894 या 1838 का अधिनियम सं० 19 (57 और 58 विक्ट, सी० 60) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841 (1841 का 10) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित, अंश या सम्पत्ति के, चाहे आत्यन्तिकतः या बन्धक द्वारा या अन्यथा विक्रय, अन्तरण या अन्य व्ययन के लिए है ;

<sup>7</sup>[(3) विकासकर्ता या यूनिट द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में या विशेष आर्थिक जोन के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के संबंध में निष्पादित कोई लिखत।

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “विकासकर्ता”, “विशेष आर्थिक जोन” और “यूनिट” पदों के वही अर्थ हैं, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (छ), खंड (यक) और खंड (यग) में क्रमशः उनके हैं।]

**83क. [अतिरिक्त शुल्क सहित प्रभार्य लिखतें।]**—शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 (1973 का 13) की धारा 3 द्वारा (1-4-1973 से) निरसित।

**4. विक्रय, बन्धक या व्यवस्थापन के एकल संव्यवहार में प्रयोग में लाई गई कई लिखतें**—(1) जहां किसी विक्रय, बन्धक या व्यवस्थापन के मामले में संव्यवहार को पूरा करने के लिए कई लिखतें प्रयोग में लाई जाती हैं, वहां केवल मूल लिखत ही हस्तांतरण,

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा जोड़े गए खण्ड (26) का 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 4 द्वारा (1-4-1956 से) लोप किया गया।

<sup>2</sup> 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 117 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1 अप्रैल, 1956 से) “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>6</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा “चैक” शब्द का लोप किया गया।

<sup>7</sup> 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 57 और तीसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>8</sup> 1971 के अधिनियम सं० 44 की धारा 2 द्वारा (15-11-1971 से) अंतःस्थापित।

बन्धक या व्यवस्थापन के लिए अनुसूची 1 में विहित शुल्क से प्रभार्य होगी और अन्य लिखतों में से हर एक उसके लिए उस अनुसूची में विहित शुल्क (यदि कोई हो) के बदले में एक रुपए के शुल्क से प्रभार्य होगी।

(2) पक्षकार अपने आप यह अवधारित कर सकेंगे कि इस प्रकार प्रयोग में लाई गई लिखतों में से कौन सी लिखत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए मूल लिखत समझी जाएगी:

परन्तु इस प्रकार अवधारित की गई लिखत पर प्रभार्य शुल्क ऐसा अधिकतम शुल्क होगा जो प्रयोग में लाई गई उक्त लिखतों में से किसी की बाबत प्रभार्य है।

1[(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतियों के किसी निर्गम, विक्रय या अंतरण की दशा में, ऐसी लिखत, जिस पर धारा 9 के अधीन स्टॉप शुल्क प्रभार्य हैं, इस धारा के प्रयोजन के लिए मूल लिखत होगी और किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित किन्हीं अन्य लिखतों पर कोई स्टॉप शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।]

**5. कई सुभिन्न मामलों से संबंधित लिखतें**—कई सुभिन्न मामले समाविष्ट करने वाली या उनसे संबंधित कोई लिखत ऐसे शुल्कों की संकलित रकम से प्रभार्य होगी जिससे हर एक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उनसे संबंधित पृथक्-पृथक् लिखतें, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होतीं।

**6. अनुसूची 1 में विभिन्न वर्णनों में आने वाली लिखतें**—अन्तिम पूर्वगामी धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां इस प्रकार विरचित कोई लिखत, अनुसूची 1 के दो या अधिक वर्णनों में आती है, वहां यदि उसके अधीन प्रभार्य शुल्क भिन्न-भिन्न हैं, तो ऐसे शुल्कों में से केवल अधिकतम शुल्क से ही वह प्रभार्य होगी:

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात, शुल्क से प्रभार्य किसी भी लिखत के प्रतिलेख या द्विप्रतिक को जिसकी बाबत उचित शुल्क संदत्त किया जा चुका है, एक रुपए से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं बनाएगी।

#### 7. समुद्रीय बीमा पालिसियां—<sup>2\*</sup>

\*

\*

\*

(4) जहां कि कोई समुद्रीय बीमा किसी समुद्र यात्रा के लिए या उस मद्दे और किसी समय के लिए भी अथवा पोत के उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने और वहां लंगर पर बंध जाने के पश्चात् तीस दिनों तक या उसके पश्चात् के समय के लिए किया गया है, वहां वह पालिसी समुद्र यात्रा के लिए या उस मद्दे की पालिसी के रूप में शुल्क से और ऐसे समय के पालिसी के रूप में भी शुल्क से प्रभार्य होगी।

**8. 1879 के अधिनियम सं० 11 के अधीन उधार पर निर्गमित बन्ध-पत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां**—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों को निर्गमित करके लोकल अथारिटीज लोन ऐक्ट, 1879 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन उधार लेने वाला कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे उधार की बाबत अपने द्वारा निर्गमित बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की कुल रकम पर <sup>3</sup>[एक प्रतिशत] शुल्क से प्रभार्य होगा, और ऐसे बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों, या अन्य प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और नवीकरण, समेकन, उपखण्डीकरण पर या अन्यथा वे किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य नहीं होंगे।

(2) कतिपय बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों को स्टाम्पित किए जाने से और किसी अतिरिक्त शुल्क से प्रभार्य होने से छूट देने वाले उपधारा (1) के उपबन्ध, उसमें वर्णित सभी प्रकार के बकाया उधारों विषयक बन्ध-पत्रों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों को लागू होंगे और ऐसे सभी बन्ध-पत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां, चाहे वे स्टाम्पित हों या न हों, विधिमान्य होंगी:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को, जिसने ऐसे बन्ध-पत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां निर्गमित की हैं, 1897 के मार्च के छब्बीसवें दिन के पूर्व उसकी बाबत प्रभार्य शुल्क से, जब कि ऐसा शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले गए आदेश द्वारा पहिले से ही संदत्त या प्रेषित न किया जा चुका हो, छूट नहीं देगी।

(3) इस धारा द्वारा अपेक्षित शुल्क अदा करने में जानबूझकर उपेक्षा करने की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी संदेय शुल्क की रकम पर दस प्रतिशत रकम के बराबर राशि का सरकार को समपहत हो जाने का, और ऐसे प्रथम मास के पश्चात् जिसके दौरान उपेक्षा चलती रहे, हर एक मास के लिए समान शास्ति का, दायी होगा।

**4[8क. निक्षेपागार में व्यवहृत प्रतिभूतियों का स्टाम्प शुल्क के लिए दायी न होना**—(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई निर्गमकर्ता, एक या अधिक निक्षेपागारों को प्रतिभूतियों का निर्गमन करके, ऐसे निर्गम की बाबत, अपने द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों की कुल रकम पर शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसी प्रतिभूतियों को स्टाम्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी :

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1963 के अधिनियम सं० 11 की धारा 92 द्वारा (1 अगस्त, 1963 से) उपधारा (1), (2) और (3) निरसित।

<sup>3</sup> 1910 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा “आठ आने प्रतिशत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

(ख) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से किसी फायदाग्राही स्वामी को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व का अंतरण, शुल्क के लिए दायी नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “फायदाग्राही” पद का यही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में उसका है।

(ख) जहां निर्गमकर्ता निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करता है, वहां ऐसे प्रमाणपत्र पर वही शुल्क संदेय होगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने पर संदेय है;

(ग) (i) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से किसी फायदाग्राही स्वामी को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व का;

(ii) किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत प्रतिभूतियों के फायदाग्राही स्वामित्व का;

(iii) यूनिटों के फायदाग्राही स्वामित्व का, जब ऐसे यूनिट किसी पारस्परिक निधि के ऐसे यूनिट हों, जिनके अंतर्गत किसी निक्षेपागार द्वारा व्यवहृत भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट भी हैं,

अंतरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “फायदाग्राही स्वामित्व”, “निक्षेपागार” और “निर्गमकर्ता” पदों के वही अर्थ होंगे, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ड) और खंड (च) में हैं।

**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिभूति” पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में है।]

**1[8ख. कोई निगमीकरण और गैर पारस्परिकरण स्कीमें और संबंधित लिखतों का शुल्क के लिए दायी न होना**—इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या गैर पारस्परिकरण या दोनों की कोई स्कीम;

(ख) किसी स्कीम के अनुसरण में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या गैर पारस्परिकरण या दोनों के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई लिखत, जिसके अंतर्गत किसी संपत्ति के अंतरण, कारबार, आस्ति चाहे जंगम हो या स्थावर, संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता का या उसके संबंध में कोई लिखत भी है,

जिसे प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4ख की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और संविदा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “निगमीकरण”, “गैर-पारस्परिकरण” और “स्कीम” पदों के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (कक), खंड (कख) और खंड (कग) में हैं;

(ख) “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है।]

**2[8ग. परक्राम्य भाण्डागार, रसीदों का स्टाम्प शुल्क के दायित्वाधीन न होना**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य भाण्डागार, रसीदें, स्टाम्प शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगी।]

**3[8घ. प्राप्तियों के समनुदेशन के संबंध में स्टाम्प शुल्क के लिए गैर-दायी करार या दस्तावेज**—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, फेक्टर विनिमय अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 2 के खंड (त) में यथा परिभाषित “प्राप्तियों” का उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (झ) में यथा परिभाषित किसी “फेक्टर” के पक्ष में समनुदेशन करने के संबंध में कोई करार या अन्य दस्तावेज इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगा।]

**4[8ड. किसी बैंक की शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन का या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्रि कंपनी में अंतरण का शुल्क के लिए दायी न होना**—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

<sup>1</sup> 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 114 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2007 के अधिनियम सं० 37 की धारा 55 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2012 के अधिनियम सं० 12 की धारा 35 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार किसी बैंक की किसी शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी में अंतरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगा; या

(ख) इस निमित्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी स्कीम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार किसी बैंक की शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन किए जाने या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी को अंतरण किए जाने के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई लिखत, जिसके अंतर्गत किसी संपत्ति, कारबार आस्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता के अंतरण की या उससे संबंधित कोई लिखत भी है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण—**(i) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “बैंक” पद से अभिप्रेत है—

(क) कोई “बैंकारी कंपनी”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है;

(ख) कोई “तत्स्थानी नया बैंक”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित “भारतीय स्टेट बैंक”;

(घ) कोई “समनुषंगी बैंक” जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित है;

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित “प्रादेशिक ग्रामीण बैंक”;

(च) कोई “सहकारी बैंक”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गग) में परिभाषित है;

(छ) कोई “बहुराज्य सहकारी बैंक”, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गगiii) में परिभाषित है; और

(ii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “भारतीय रिजर्व बैंक” पद से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है।]

**1[8च. वित्तीय आस्तियों के अंतरण या उसमें के अधिकारों अथवा हित के समनुदेशन के लिए करार या दस्तावेज का स्टाम्प ड्यूटी के लिए दायी न होना—**इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित किसी आस्ति पुनर्संनिर्माण कंपनी के पक्ष में, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित के अंतरण या समनुदेशन के लिए करार या अन्य दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होंगे।]

**2[8छ. सरकारी कंपनी के सामरिक विक्रय, विनिवेश, आदि का स्टाम्प शुल्क के लिए दायी न होना—**इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कंपनी, उसकी समनुषंगी, यूनिट या संयुक्त उद्यम,—

(i) सामरिक विक्रय या विनिवेश, निर्विलयन या ठहरावों की किसी अन्य स्कीम में माध्यम से या किसी अन्य विधि के माध्यम से किसी अन्य सरकारी कंपनी को या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विकास वित्तीय संस्था को; या

(ii) जिसका परिसमापन किया जाना है, बंद किया जाना है, काट दिया जाना है, समापन किया जाना है या अन्यथा बंद कर दिया जाना है, से अन्य सरकार कंपनी या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन शुल्क की दायी नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी कंपनी” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में उसका है।]

**9. शुल्कों को कम करने, उससे छूट देने या उसका प्रशमन करने की शक्ति—**<sup>3</sup>[(1)] <sup>1</sup>[<sup>2</sup>\*\*\* सरकार] राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा,—

<sup>1</sup> 2016 के अधिनियम सं० 44 की धारा 43 द्वारा अन्य:प्रस्थापित।

<sup>2</sup> 2021 के अधिनियम सं० 13 की धारा 126 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा धारा 9 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःख्यांकित किया गया।

(क) <sup>3</sup>[अपने प्रशासन के अधीन के राज्यक्षेत्रों] के सम्पूर्ण या किसी भाग में, एक शुल्क को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उससे छूट दे सकेगी जिससे कोई लिखतें या किसी विशिष्ट वर्ग की लिखतें या ऐसे वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली लिखतों में से कोई लिखत या कोई लिखतें जब ऐसे विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा या उनके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किन्हीं सदस्यों द्वारा या उनके पक्ष में निष्पादित की जाएं, प्रभाय हैं; और

(ख) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगम निकाय द्वारा <sup>4</sup>[बीमा की पालिसियों और] <sup>5</sup>[डिबेंचरों, बन्धपत्रों या अन्य विपण्य प्रतिभूतियों के निर्गमन या अंतरणों की (जहां एकल अंतरिती है, चाहे निर्गमित हो या नहीं) दशा में] शुल्कों के प्रशमन या समकेन के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

<sup>6</sup>[(2) इस धारा में “सरकार” पद से—

(क) विनिमय-पत्र, चैक, वचन-पत्र, वहन-पत्र, प्रत्यय-पत्र, बीमा पालिसी शेयरों का अन्तरण, डिबेंचर, परोक्षी और रसीदों की बाबत स्टाम्प-शुल्क के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन प्रभाय है और जो <sup>7</sup>[उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विषय-वस्तु के सिवाय, संविधान की सातवीं अनुसूची] की प्रथम सूची की प्रविष्टि 96 के भीतर आता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) यथा उपर्युक्त के सिवाय, राज्य सरकार अभिप्रेत है ।]

**कक. स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहार लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व**

**<sup>8</sup>[9क. स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहारों के लिए शुल्क से प्रभाय लिखतें—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—**

(क) जब किन्हीं प्रतिभूतियों का विक्रय, चाहे परिदान आधारित हो या उससे अन्यथा, किसी स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, तो समाशोधन सूची में के प्रत्येक ऐसे विक्रय पर स्टॉप शुल्क का संग्रहण, राज्य सरकार की ओर से उसके क्रेता से, स्टाक एक्सचेंज द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम द्वारा ऐसे क्रेता की प्रतिभूतियों के संव्यवहार के व्यवस्थापन के समय ऐसी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबन्धित करे;

(ख) जब किसी प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियों का अंतरण, चाहे परिदान आधारित हो या उससे अन्यथा, किसी निक्षेपागार द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से भिन्न आधार पर किया जाता है तो निक्षेपागार द्वारा राज्य सरकार की ओर से ऐसे अंतरण पर स्टॉप शुल्क का संग्रहण ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरक से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबन्धित करे, किया जाएगा;

(ग) जब किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में प्रतिभूतियों के निर्गमन के अनुसरण में, कोई सृजन या परिवर्तन किया जाता है, तो आबंटन सूची पर स्टॉप शुल्क का संग्रहण राज्य सरकार की ओर से प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता से ऐसी सूची में यथा अंतर्विष्ट प्रतिभूतियों के कुल बाजार मूल्य पर निक्षेपागार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबन्धित करें ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखतें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर, उसमें यथा उपबन्धित शुल्क से प्रभाय होंगी और ऐसी लिखतों को स्टॉपित करने की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>9</sup>[परंतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 23) की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में संव्यवहार की लिखतों के संबंध में कोई स्टॉप शुल्क प्रभाय नहीं होगा ।]

(3) इस भाग के प्रारंभ की तारीख से, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) में वर्णित संव्यवहारों से सहबद्ध, किसी नोट या जापन या अन्य दस्तावेज पर, चाहे इलैक्ट्रानिक हो या अन्यथा, कोई स्टॉप शुल्क प्रभाय या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, स्टाक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम या निक्षेपागार, प्रत्येक मास के अंत से तीन सप्ताह के भीतर और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, इस धारा के अधीन संगृहीत स्टॉप शुल्क को, उस राज्य सरकार को अंतरित करेगा, जहां क्रेता का आवास अवस्थित है और क्रेता के भारत से बाहर अवस्थित होने की दशा में, उस राज्य सरकार को अंतरित करेगा, जहां ऐसे क्रेता के व्यापार सदस्य या दलाल का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, और

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “परिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही” शब्द का लोप किया गया ।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “ब्रिटिश भारत” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 117 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 99 द्वारा (13-5-1994 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>7</sup> 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>9</sup> 2020 अधिनियम सं० 12 धारा 143 द्वारा अंतःस्थापित ।

उस दशा में, जहां केता का ऐसा कोई व्यापार सदस्य नहीं है, वहां उस राज्य सरकार को अंतरित करेगा, जहां सहभागी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है :

परंतु ऐसे अंतरण से पूर्व, स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम या निक्षेपागार, सुकर प्रभारों हेतु स्टॉप शुल्क के ऐसे प्रतिशत की कटौती करने का हकदार होगा, जैसा ऐसे नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

**स्पष्टीकरण**—“सहभागी” पद का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 2) की धारा 2 के खंड (छ) में उसका है।

(5) प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम और निक्षेपागार सरकार को उपधारा (1) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के ब्यौरे ऐसी रीति में देगा, जो केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबन्धित करे।

**9ख. स्टॉक एक्सचेंजों या निक्षेपागारों के माध्यम से अन्यथा संव्यवहारों के लिए शुल्क से प्रभार्य लिखत**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जब किसी निर्गमकर्ता द्वारा प्रतिभूतियों का कोई निर्गम किसी स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से अन्यथा किया जाता है, तो निर्गमकर्ता द्वारा ऐसे प्रत्येक निर्गम पर स्टॉप शुल्क अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर इस प्रकार निर्गमित प्रतिभूतियों के कुल बाजार मूल्य पर उस स्थान पर संदेय होगा, जहां उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अभिप्रेत है;

(ख) जब प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियों का कोई विक्रय या अंतरण या पुनःनिर्गम किसी स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से अन्यथा किया जाता है, तो यथास्थिति, विक्रेता या अंतरक या निर्गमकर्ता द्वारा ऐसे प्रत्येक विक्रय या अंतरण या पुनःनिर्गम पर स्टॉप शुल्क अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी लिखत में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर संदेय होगा।]

#### ख—स्टाम्प और उनके उपयोग की रीति

**10. शुल्क कैसे दिए जाएंगे**—(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सभी शुल्क, जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य हैं, संदत्त किए जाएंगे और ऐसा संदाय ऐसे लिखतों पर स्टाम्पों द्वारा उपदर्शित किया जाएगा—

(क) इसमें के उपबन्धों के अनुसार, या

(ख) जहां ऐसा कोई उपबन्ध उसको लागू न हो, वहां जैसा [राज्य सरकार] नियम द्वारा निर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम, अन्य विषयों के साथ-साथ—

(क) हर एक प्रकार की लिखत की दशा में, उन स्टाम्पों का वर्णन, जो कि उपयोग में लाए जा सकेंगे,

(ख) छपे हुए स्टाम्पों से स्टाम्पित लिखतों की दशा में, उन स्टाम्पों की संख्या, जो उपयोग में लाए जा सकेंगे,

(ग) 2\*\*\* विनिमय-पत्रों या वचन-पत्रों की दशा में, उस कागज की लम्बाई-चौड़ाई जिस पर वे लिखे जाएंगे, विनियमित कर सकेंगे।

**11. चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग**—निम्नलिखित लिखतें चिपकने वाले स्टाम्पों से स्टाम्पित की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(क) मांग पर देय से अन्यथा देय और संवर्गों में लिखे गए विनिमय-पत्रों की मूल प्रतियों के सिवाय, वे लिखतें जो [दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से] प्रभार्य हैं;

(ख) विनिमय-पत्र 4\*\*\* और वचन-पत्र जो 5[भारत] के बाहर लिखे या बनाए गए हैं;

(ग) उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटर्नी के रूप में प्रविष्टि;

(घ) नौकरी कार्य; और

(ङ) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा अन्तरण।

**12. चिपकने वाले स्टाम्पों का रद्दकरण**—(1) (क) जो कोई शुल्क से प्रभार्य किसी ऐसी लिखत पर जो किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई है, कोई चिपकने वाला स्टाम्प लगाता है, वह ऐसा स्टाम्प लगाते हुए, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके; और

(ख) जो कोई किसी कागज पर जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है, कोई लिखत निष्पादित करता है, वह निष्पादन के समय, यदि ऐसा स्टाम्प उपर्युक्त रीति से पहले ही काट न दिया गया हो, उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके।

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 5 द्वारा (1-4-1958 से) “प्राच्य भाषा में लिखित” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना या आधा आना के शुल्क से” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा “चैक” शब्द का लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1-4-1956 से) “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) किसी भी ऐसी लिखत की जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प, लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है कि पुनः उपयोग में न लाया जा सके, जहां तक स्टाम्प का सम्बन्ध है, यह समझा जाएगा कि वह स्टाम्पित नहीं है।

(3) वह व्यक्ति जिससे उपधारा (1) के अधीन चिपकने वाले स्टाम्प को काटना अपेक्षित है वह उस पर या उसके आरपार अपना नाम या आद्यक्षर लिखकर या अपनी फर्म का नाम या आद्यक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी प्रकार से उसे काट सकेगा।

**13. छापित स्टाम्प लगी हुई लिखतें कैसे लिखी जाएंगी—**हर ऐसी लिखत जो ऐसे कागज पर लिखी है जिस पर छापित स्टाम्प लगी है, ऐसी रीति से लिखी जाएगी कि लिखत के सामने के भाग पर स्टाम्प दिखाई दे और वह किसी अन्य लिखत के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सके या अन्य लिखत पर लगाया नहीं जा सके।

**14. एक स्टाम्प पर केवल एक ही लिखत रहेगी—**किसी भी ऐसे लिखित कागज पर जिस पर शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत पहले ही लिखी जा चुकी है, शुल्क से प्रभार्य कोई भी दूसरी लिखत नहीं लिखी जाएगी:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे पृष्ठांकन का जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, किसी लिखत पर उसके द्वारा सृष्ट या साक्षित किसी अधिकार का अन्तरण करने के या कोई धनराशि या माल की, जिसका चुकाया जाना या परिदान उसके द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्ति की अभिस्वीकृति के प्रयोजन के लिए किया जाना निवारित नहीं करेगी।

**15. धारा 13 या 14 के प्रतिकूल लिखी गई लिखत अस्टाम्पित समझी जाएगी—**धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गई हर लिखत की बाबत यह समझा जाएगा कि वह बिना स्टाम्प है।

**16. शुल्क द्योतक करना—**जहां किसी शुल्क की मात्रा जिससे कोई लिखत प्रभार्य है या उसकी शुल्क से छूट किसी भी रीति से उस शुल्क पर निर्भर है जो किसी अन्य लिखत की बाबत वस्तुतः दिया गया है, वहां ऐसा अंतिम वर्णित शुल्क उस दशा में जिसमें कि उस प्रयोजन के लिए कलक्टर को लिखित रूप में आवेदन किया गया है दोनों ही लिखतों के पेश किए जाने पर, कलक्टर के हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा या ऐसी अन्य रीति से (यदि कोई हो), जिसे [राज्य सरकार] नियम द्वारा विहित करे, ऐसी प्रथम वर्णित लिखत पर द्योतित किया जाएगा।

#### ग—लिखतों को स्टाम्पित करने का समय

**17. भारत में निष्पादित की गई लिखतें—**शुल्क से प्रभार्य और <sup>3</sup>[भारत] में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित सभी लिखतें निष्पादित किए जाने के पूर्व या उसी समय स्टाम्पित की जाएंगी।

**18. विनिमय-पत्रों और वचन-पत्रों से भिन्न लिखतें जो भारत के बाहर निष्पादित की गई हैं—**(1) शुल्क से प्रभार्य हर लिखत, जो केवल <sup>3</sup>[भारत] के बाहर निष्पादित की गई है और जो विनिमय-पत्र <sup>2</sup>\*\*\* या वचन-पत्र नहीं हैं, <sup>3</sup>[भारत] में प्रथम बार उसके प्राप्त होने के तीन मास के भीतर स्टाम्पित की जाएगी।

(2) जहां कि कोई ऐसी लिखत जिसके लिए विहित वर्णन के स्टाम्प से किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की जा सकती, वहां वह उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर कलक्टर के समक्ष लाई जाएगी, जो उसे ऐसे मूल्य के स्टाम्प से, जैसा ऐसी लिखत को लाने वाला व्यक्ति अपेक्षित करे और उस लेखे अदायगी करे, ऐसी रीति से, जो <sup>4</sup>[राज्य सरकार] नियम द्वारा विहित करे, स्टाम्पित करेगा।

**19. भारत के बाहर लिखे गए विनिमय-पत्र और वचन-पत्र—**<sup>2</sup>[भारत] के बाहर लिखे या बनाए गए किसी विनिमय-पत्र का <sup>3</sup>[जो मांग पर देय से भिन्न रूप में देय है], <sup>4</sup>\*\*\* या वचन-पत्र का <sup>1</sup>[भारत] में प्रथम धारक उसे <sup>1</sup>[भारत] में प्रतिगृहीत किए जाने या संदाय किए जाने के लिए उपस्थित करने से या पृष्ठांकित, अंतरित या उसे अन्यथा परक्रामित करने से पूर्व, उस पर उचित स्टाम्प लगाएगा और उसे काट देगा:

परन्तु—

(क) यदि उस समय जब कोई ऐसा विनिमय-पत्र <sup>3</sup>\*\*\* या वचन-पत्र <sup>1</sup>[भारत] में उसके किसी धारक के पास आता है, उस पर उचित चिपकने वाला स्टाम्प लगाया गया है और धारा 12 द्वारा विहित की गई रीति से काट दिया गया है और यह विश्वास करने का कोई कारण ऐसे धारक के पास नहीं है कि ऐसा स्टाम्प इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित व्यक्ति द्वारा और समय से अन्यथा लगाया या काट दिया गया था तो, ऐसे स्टाम्प की बाबत वहां तक जहां तक कि वह ऐसे धारक से संबंधित है, यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से लगाया हुआ और काटा हुआ है;

(ख) इस परन्तुक की कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसी शास्ति से मुक्त नहीं करेगी जो स्टाम्प के न लगाने या रद्द न करने से उस पर आ गई है।

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "संग्राही सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1-4-1956 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>4</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "चैक" शब्द का लोप किया गया।



**20. विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त रकम का संपरिवर्तन**—(1) जहां कि कोई लिखत <sup>1</sup>[भारत] की करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में अभिव्यक्त किसी धनराशि लेखे मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य हैं, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन उस धनराशि के मूल्य पर किया जाएगा जो लिखत की तारीख को प्रचलित विनिमय-दर के अनुसार उसका <sup>1</sup>[भारत] की करेंसी में है।

(2) केन्द्रीय सरकार स्टाम्प शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए ब्रिटिश या किसी विदेशी करेंसी को <sup>1</sup>[भारत] की करेंसी में संपरिवर्तन करने के लिए विनिमय की दर समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित कर सकेगी और ऐसी दर उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विद्यमान दर समझी जाएगी।

**21. स्टाक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा**—जहां कि कोई लिखत किसी स्टाक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसे शुल्क का परिकलन <sup>1</sup>[ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर किया जाएगा।]

<sup>2</sup>[परंतु स्टांप शुल्क की संगणना के लिए बाजार मूल्य,—

- (i) किन्हीं प्रतिभूतियों में विकल्प की दशा में, क्रेता द्वारा संदत्त प्रीमियम होगा;
- (ii) कारपोरेट बंधपत्रों पर रेपो की दशा में, उधारा लेने वाले द्वारा संदत्त ब्याज होगा; और
- (iii) अदला-बदली की दशा, नकद प्रवाह का केवल प्रथम चरण होगा।]

**22. विनिमय दर विषयक या औसत कीमत विषयक विवरण का प्रभाव**—जहां कि प्रचलित विनिमय दर या औसत कीमत का विवरण जैसी भी स्थिति में अपेक्षित हो, किसी लिखत में है और ऐसे विवरण के अनुसार वह स्टांम्पित है वहां जहां तक कि ऐसे विवरण की विषयवस्तु का संबंध है, उसके बारे में तब के सिवाय यह उपधारणा की जाएगी कि वह सम्यक् रूप में स्टांम्पित है जब कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।

**23. वे लिखतें जिनमें ब्याज के लिए उपबन्ध है**—जहां कि किसी लिखत के निबन्धनों के अनुसार ब्याज अभिव्यक्त रूप से देय है, वहां ऐसी लिखत उस शुल्क से अधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं होगी जिससे तब प्रभार्य होती जबकि उसमें ब्याज का वर्णन नहीं किया गया होता।

<sup>3</sup>[**23क. विपण्य प्रतिभूतियों के बंधकों से संबंधित कतिपय लिखतों का करार के रूप में प्रभार्य होना**—(1) जहां कि कोई लिखत (जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र नहीं है)—

(क) उधार के रूप में अग्रिम दी गई या अग्रिम दी जाने वाली धनराशि के लिए अथवा किसी विद्यमान या भविष्य ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में विपण्य प्रतिभूति का निक्षेप किए जाने के समय दी गई है, या

(ख) किसी विपण्य प्रतिभूति के सम्यक् रूप से स्टांम्पित अंतरण को, जो प्रतिभूति के रूप में आशयित मोचनीय बनाती है या परिसीमित करती है,

वहां वह शुल्क से ऐसे प्रभार्य होगी मानो वह प्रथम अनुसूची के <sup>4</sup>[अनुच्छेद सं० 5 (ग) के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई करार या करार का ज्ञापन हो।

(2) किसी ऐसी लिखत की निर्मुक्ति या उन्मोचन केवल वैसे ही शुल्क से प्रभार्य होगा।]

**24. किसी ऋण के प्रतिफलस्वरूप अथवा भविष्य में संदाय की शर्त वाले अंतरण आदि किस प्रकार प्रभारित किए जाएंगे**—जहां कि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को, उसे शोध्य ऋण के पूर्णतः या भागतः प्रतिफल के लिए या किसी धनराशि या स्टाक की निश्चित या समाश्रित संदाय के अध्यधीन चाहे वह संपत्ति पर भार या विल्लंगम हो या नहीं या बनाता हों या नहीं, अन्तरित की जाती है, वहां ऐसे ऋण, धनराशि या स्टाक की बाबत यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, पूर्ण प्रतिफल या उसका भाग है जिसकी बाबत वह अंतरण मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे विक्रय प्रमाणपत्र को लागू नहीं होगी जो प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद सं० 18 में वर्णित है।

**स्पष्टीकरण**—किसी बन्धक या अन्य विल्लंगम के अधीन सम्पत्ति के विक्रय की दशा में, न चुकाई गई कोई बंधक धनराशि या भारित धनराशि और साथ-साथ उस पर देय ब्याज (यदि कोई हो) विक्रय के प्रतिफल का भाग समझा जाएगा:

परन्तु जहां कि ऐसी सम्पत्ति जिस पर कोई बन्धक है, बन्धकदार को अन्तरित की जाती है, वहां वह उस अंतरण पर देय शुल्क में से उतने शुल्क की रकम की कटौती करने का हकदार होगा जो बन्धक की बाबत पहले ही दे दी गई है:

**दृष्टांत**

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>4</sup> 1912 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा “अनुच्छेद सं० 5(ख)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1) **ख** का 1,000 रुपए का ऋणी **क** है। **क**, 500 रुपए के और पहले के 1,000 रुपए के ऋण की निर्मुक्ति के प्रतिफल में **ख** को सम्पत्ति बेच देता है। स्टाम्प शुल्क 1,500 रुपए पर देय होगा।

(2) **ख** को 500 रुपए में **क** ऐसी एक सम्पत्ति बेचता है जिस पर **ग** का 1,000 रुपए का बंधक और 200 रुपए का असंदत्त ब्याज है। स्टाम्प शुल्क 1,700 रुपए पर देय होगा।

(3) **क** 10,000 रुपए के मूल्य का एक गृह **ख** को 5,000 रुपए में बंधक रखता है। **ख** उसके पश्चात् **क** से मकान खरीद लेता है। बंधक के लिए पहले दे दी गई स्टाम्प शुल्क की रकम को कम करके, 10,000 रुपए पर स्टाम्प शुल्क संदेय होगा।

**25. वार्षिकी, आदि की दशा में मूल्यांकन**—जहां कि कोई लिखत किसी वार्षिकी या कालिकत: देय किसी राशि का दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित की जाती है या जहां कि हस्तांतरण का प्रतिफल कोई वार्षिकी या कालिकत: देय कोई अन्य राशि है, वहां, यथास्थिति, ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम या ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह—

(क) वहां, जहां कि राशि किसी निश्चित कालावधि के लिए देय है जिससे कि दी जाने वाली कुल रकम को पहिले ही अभिनिश्चित किया जा सके, ऐसी कुल रकम है,

(ख) वहां, जहां कि राशि शाश्वत रूप में या किसी अनिश्चित समय के लिए ऐसी लिखत या हस्तांतरण-पत्र की तारीख को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित नहीं होता है, देय है ऐसी कुल रकम है जो ऐसी लिखत या हस्तांतरण-पत्र के निबन्धनों के अनुसार बीस वर्षों की कालावधि के दौरान देय होगी या देय हो सकेगी, जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने की तारीख से किया जाएगा, और

(ग) वहां, जहां कि धनराशि ऐसी लिखत या हस्तांतरण-पत्र की तारीख को अस्तित्वधारी प्राणी के जीवन के साथ ही पर्यवसित होने वाले किसी अनिश्चित समय के लिए देय है—ऐसी अधिकतम रकम है जो उस तारीख के बारह वर्षों की कालावधि के दौरान यथापूर्वोक्त रूप में देय होगी या हो सकेगी जिसका परिकलन प्रथम संदाय के शोध्य होने की तारीख से किया जाएगा।

**26. स्टाम्प, जहां कि विषयवस्तु का मूल्य अनवधार्य है**—जहां कि मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत की विषयवस्तु की रकम या मूल्य उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या (इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व निष्पादित किसी लिखत की दशा में) अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था, वहां ऐसी लिखत के अधीन उस अधिकतम रकम या मूल्य से अधिक किसी भी रकम या मूल्य का कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए, यदि उसी प्रकार की किसी लिखत में वह कथित किया गया होता, वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प ऐसे निष्पादन की तारीख को पर्याप्त होता:

<sup>1</sup>[परन्तु किसी ऐसी खान के पट्टे की दशा में, जिसमें स्वामिस्व या उत्पाद का हिस्सा भाटक या भाटक के भाग के रूप में प्राप्त होता है, स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसे स्वामिस्व या ऐसे हिस्से के मूल्य का प्राक्कलित किया जाना उस दशा में पर्याप्त होगा—

(क) जब कि पट्टा <sup>2</sup>[सरकार] द्वारा या उसकी ओर से ऐसी रकम या मूल्य पर दिया गया है जिसकी बाबत कलक्टर ने मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राक्कलित किया हो कि पट्टे के अधीन उस <sup>3</sup>[सरकार] को स्वामिस्व या हिस्से के रूप में उसके दिए जाने की संभावना है, या

(ख) जब कि पट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बीस हजार रुपए प्रति वर्ष पर दिया गया है,

और ऐसे स्वामिस्व या हिस्से की पूरी रकम, चाहे वह कितनी भी हो, ऐसे पट्टे के अधीन दावा किए जाने योग्य होगा:

परन्तु यह और कि जहां कि लिखत की बाबत धारा 31 या 41 के अधीन कार्यवाहियों की गई हैं, वहां कलक्टर द्वारा प्रमाणित की गई रकम की बाबत यह समझा जाएगा कि वह निष्पादन की तारीख को वस्तुतः उपयोग में लाया गया स्टाम्प है।

**27. शुल्क पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को लिखत में उपवर्णित किया जाना**—वह प्रतिफल (यदि कोई हो) जिससे और वे अन्य सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनसे किसी लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम पर असर पड़ेगा उसमें पूर्णरूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित की जाएंगी।

**28. कतिपय हस्तांतरण-पत्रों की दशा में शुल्क के बारे में निदेश**—(1) जहां कि किसी संपत्ति को किसी एक प्रतिफल के लिए संपूर्णतः बेचे जाने की संविदा की गई है और वह क्रेता को भिन्न-भिन्न लिखतों द्वारा पृथक्-पृथक् भागों में हस्तांतरित की गई है, वहां प्रतिफल ऐसी रीति से जैसा पक्षकार उचित समझे, प्रभाजित किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि हर एक पृथक् भाग के लिए सुभिन्न प्रतिफल उससे सम्बद्ध हस्तांतरण-पत्र में उपवर्णित किया गया हो, तथा ऐसा हस्तान्तरण पत्र ऐसे सुभिन्न प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।

(2) जहां कोई सम्पत्ति जिसकी दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्ततः अथवा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं और दूसरों के लिए अथवा पूर्णतः दूसरों के लिए किसी एक प्रतिफल के लिए सम्पूर्णतः क्रय किए जाने के लिए संविदा की गई है, पृथक्-पृथक् लिखतों द्वारा

<sup>1</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 4 द्वारा मूल परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् सेक्रेटरी आफ स्टेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “उक्त सपरिषद् सेक्रेटरी आफ स्टेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

प्रतिफल के सुभिन्न भागों के लिए उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा या जिनके लिए वह क्रय की गई थी, भागों में हस्तांतरित की जाती है, वहां हर एक पृथक् भाग का हस्तांतरण-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट किए गए प्रतिफल के सुभिन्न भाग की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा।

(3) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी संपत्ति को क्रय करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तांतरण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामतः संपत्ति अनुक्रेता तो तुरन्त हस्तांतरित कर दी जाती है, वहां वह हस्तांतरण-पत्र उस प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा जो मूल क्रेता द्वारा अनुक्रेता को किए गए विक्रय का है।

(4) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसने किसी संपत्ति को क्रय करने की संविदा की है किन्तु उसका हस्तांतरण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संपूर्णतः या उसके किसी भाग का विक्रय करने की संविदा करता है और परिणामस्वरूप संपत्ति मूल विक्रेता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भागों में हस्तांतरित कर दी जाती है, वहां अनुक्रेता को बेचे गए हर एक भाग का हस्तांतरण-पत्र, मूल प्रतिफल की रकम या मूल्य पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अनुक्रेता द्वारा दिए गए प्रतिफल की बाबत ही मूल्यानुसार शुल्क के प्रभार्य होगा: और मूल क्रेता को बेची गई ऐसी सम्पत्ति के शेष भाग का (यदि कोई हो) हस्तांतरण-पत्र, केवल उस प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य होगा जो अनुक्रेताओं द्वारा संदत्त प्रतिफलों के योग से मूल प्रतिफल के आधिक्य में है:

परन्तु ऐसे अंतिम वर्णित हस्तांतरण-पत्र पर शुल्क किसी भी दशा में एक रुपए से कम नहीं होगा।

(5) जहां कि कोई अनुक्रेता उस व्यक्ति के, जो उसका सीधा विक्रेता है, हित का वास्तविक हस्तांतरण-पत्र ले लेता है जो उसके द्वारा संदत्त प्रतिफल की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है और जिस पर तदनुसार सम्यक् रूप से स्टाम्प लगा है वहां मूल विक्रेता द्वारा उसी सम्पत्ति का उसे उसके पश्चात् किया गया कोई भी हस्तांतरण-पत्र ऐसे शुल्क से प्रभार्य होगा जो उस शुल्क के बराबर होगा जो ऐसे हस्तांतरण-पत्र पर ऐसे मूल विक्रेता द्वारा अभिप्राप्त किए गए प्रतिफल के लिए प्रभार्य है या जहां कि ऐसा शुल्क पांच रुपए से अधिक हो, वहां पांच रुपए के शुल्क से प्रभार्य होगा।

#### ड—शुल्क किसके द्वारा देय है

**29. शुल्क किसके द्वारा देय है**—किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उचित स्टाम्प की व्यवस्था करने के खर्चे निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा वहन किए जाएंगे—

(क) प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी में वर्णित किसी लिखत की दशा में, अर्थात्—

सं० 2—(प्रशासन बंध-पत्र)

[सं० 6—(हक विलेखों के निक्षेप, या पण्यम या गिरवी से संबंधित करार)]

सं० 13—(विनिमय-पत्र)

सं० 15—(बंध-पत्र)

सं० 16—(पोत बंध-पत्र)

सं० 26—(सीमाशुल्क बंध-पत्र)

2\* \* \* \* \*

सं० 32—(अतिरिक्त प्रभार)

सं० 34—(क्षतिपूर्ति बंध-पत्र)

सं० 40—(बन्धक विलेख)

सं० 49—(वचन-पत्र)

सं० 55—(निर्मुक्ति)

सं० 56—(जहाजी माल बंध-पत्र)

सं० 57—(प्रतिभूति बंध-पत्र या बंधक विलेख)

सं० 58—(व्यवस्थापन)

3\* \* \* \* \*

3\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा “सं० 6 (बन्धक के लिए करार)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 17 द्वारा “सं० 27—(डिवेंचर)” शब्दों और अंकों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया।

सं० 62 (ग)—(बंध-पत्र, बन्धक विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित के अन्तरण), की दशा में ऐसी लिखत को लिखने वाले, बनाने वाले या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा;

<sup>1</sup>[(ख) अग्नि बीमा से भिन्न किसी बीमा पालिसी की दशा में बीमा करने वाले व्यक्ति द्वारा;

(खख) किसी अग्नि बीमा पालिसी की दशा में—पालिसी निर्गमित करने वाले व्यक्ति द्वारा;]

(ग) किसी हस्तांतरण की (जिसके अन्तर्गत बंधक संपत्ति का पुनःहस्तांतरण है) दशा में—प्राप्तिकर्ता द्वारा किसी पट्टे या पट्टे के करार की दशा में—पट्टेदार या आशयित पट्टेदार द्वारा;

(घ) किसी पट्टे के प्रतिलेख की दशा में—पट्टाकर्ता द्वारा;

(ङ) विनियम <sup>2</sup>[जिसके अंतर्गत अदला-बदली भूमी है] की लिखत की दशा में—पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्सों में;

(च) विक्रय प्रमाणपत्र की दशा में—संपत्ति के, जिससे ऐसा प्रमाणपत्र सम्बद्ध है; क्रेता द्वारा; <sup>3</sup>\*\*\*

(छ) विभाजन लिखत की दशा में—विभाजित की गई संपूर्ण संपत्ति में अपने-अपने हिस्सों के अनुपात में, अथवा जबकि विभाजन किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के निष्पादन में किया गया है, तब ऐसे प्राधिकारी, न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा निदिष्ट किए गए अनुपात में उसके पक्षकारों द्वारा वहन किए जाएंगे।

<sup>4</sup>[(ज) स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूति के विक्रय की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के क्रेता द्वारा;

(झ) स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूति के विक्रय की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा;

(ञ) निक्षेपागार के माध्यम से प्रतिभूति के अंतरण की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के अंतरण द्वारा;

(ट) किसी स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से अन्यथा प्रतिभूति के अंतरण की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के अंतरण द्वारा

(ठ) प्रतिभूति के निर्गम की दशा में, चाहे वह स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से हो या अन्यथा, ऐसी प्रतिभूति के निर्गमकर्ता द्वारा; और

(ड) किसी अन्य ऐसी लिखत की दशा में, जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं है, ऐसी लिखत को बनाने, लिखने या निपादित करने वाले व्यक्ति द्वारा।]

**30. कतिपय मामलों में रसीद देने के लिए बाध्यता**—जो कोई व्यक्ति बीस रुपए की रकम से अधिक धनराशि या बीस रुपए से अधिक की रकम के लिए कोई विनियम-पत्र, चैक या वचन-पत्र प्राप्त करता है या किसी ऋण की तुष्टि या आंशिक तुष्टि में बीस रुपए से अधिक मूल्य की कोई जंगम सम्पत्ति प्राप्त करता है, वह ऐसी धनराशि, विनियम-पत्र, चैक, वचन-पत्र या सम्पत्ति का संदाय या परिदान करने वाले व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर उसके लिए सम्यक् रूप से स्टाम्पित रसीद देगा।

<sup>5</sup>[जो कोई व्यक्ति किसी अग्नि बीमा की किसी संविदा के किसी नवीकरण के लिए किसी प्रीमियम या प्रतिफल पर उधार प्राप्त करता है या खाते में पावना लेता है वह ऐसे प्रीमियम या प्रतिफल के लिए या खाते में उधार प्राप्त करने या खाते में पावना लेने के एक मास के भीतर उसके लिए एक सम्यक् रूप से स्टाम्पित रसीद देगा।]

### अध्याय 3

#### स्टाम्पों के बारे में न्यायनिर्णयन

**31. समुचित स्टाम्प के बारे में न्यायनिर्णयन**—(1) जबकि कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहले ही स्टाम्पित हो या न हो, कलक्टर के पास लाई जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में (यदि कोई हो), जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी की राय के लिए आवेदन करता है और ऐसी रकम की (जो पांच रुपए से अनधिक और [पचास नए पैसे] से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है, तब कलक्टर उस शुल्क को (यदि कोई हो) अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

(2) इस प्रयोजन के लिए कलक्टर लिखत की संक्षिप्ति और ऐसे शपथ-पत्र या अन्य साक्ष्य के दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिए आवश्यक समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम

<sup>1</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 17 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया।

<sup>4</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

<sup>6</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा (1-10-1958 से) “आठ आने” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियाँ, उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसी संक्षिप्ति और साक्ष्य तदनुसार प्रस्तुत न कर दिए जाएं वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु—

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी साक्ष्य, ऐसी जांच के सिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत जो उससे सम्बन्धित है प्रभार्य है, किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जाएगा; और

(ख) हर व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर, जिससे वह लिखत जो उससे सम्बन्धित है प्रभार्य है, किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन उसने ऐसी लिखत में उपर्युक्त किन्हीं भी तथ्यों या परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हो।

**32. कलक्टर द्वारा प्रमाणपत्र—**(1) जब कि धारा 31 के अधीन कलक्टर के समक्ष लाई गई कोई लिखत उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है, और—

(क) कलक्टर यह अवधारित करता है कि वह पहले से ही पूर्णतः स्टाम्पित है, या

(ख) धारा 31 के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित किए गए शुल्क या लिखत की बाबत पहले से ही दिए गए शुल्क सहित ऐसी राशि, जो इस प्रकार अवधारित किए गए शुल्क के बराबर है, दे दी गई है,

तब कलक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (जिसकी रकम कथित की जाएगी), दे दिया गया है।

(2) जबकि उसकी राय में, ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब कलक्टर उपर्युक्त रीति से यह प्रमाणित करेगा कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(3) किसी लिखत के बारे में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई पृष्ठांकन किया गया है, यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तथा यदि वह शुल्क से प्रभार्य है, तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिए जाने योग्य होगा और उसके अनुसार ऐसे कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी मानो वह आरम्भ में ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी:

परन्तु इस धारा की कोई बात कलक्टर को—

(क) किसी ऐसी लिखत पर, जो <sup>1</sup>[भारत] में निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो, यथास्थिति, उसके निष्पादन या प्रथम बार निष्पादन की तारीख के एक मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई गई हो,

(ख) किसी ऐसी लिखत पर, जो <sup>1</sup>[भारत] के बाहर निष्पादित की गई हो या प्रथम बार निष्पादित की गई हो और जो <sup>1</sup>[भारत] में उसके प्रथम बार प्राप्त किए जाने के तीन मास का अवसान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष लाई गई हो, या

(ग) किसी ऐसी लिखत पर <sup>2</sup>[जो दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से] प्रभार्य है या किसी ऐसे विनिमय-पत्र या वचन-पत्र पर जो सम्यक् रूप से स्टांपित न किए गए कागज पर, लिखे जाने या निष्पादन के पश्चात् उसके समक्ष लाया जाता है,

पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

#### अध्याय 4

### सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें

**33. लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना—**(1) हर व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है, और पुलिस अधिकारी के अलावा लोक कार्यालय का भारसाधक हर व्यक्ति जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है, उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा जिसमें कि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है।

(2) उस प्रयोजन के लिए ऐसा हर व्यक्ति ऐसे प्रभार्य और अपने समक्ष पेश की गई या आई हर लिखत की जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए करेगा कि जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई या प्रथम बार निष्पादित की गई थी, तब क्या वह <sup>1</sup>[भारत] में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य और विवरण की स्टाम्प से स्टाम्पित थी:

परन्तु—

<sup>1</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1-4-1956 से) “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 4 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना या आधा आना शुल्क से” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी मजिस्ट्रेट या दाण्डिक न्यायालय के न्यायाधीश से यह अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाली किसी लिखत की परीक्षा करे या उसे परिवर्द्ध करे, यदि वह ऐसा करना ठीक नहीं समझता:

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में, इस धारा के अधीन किसी लिखत की परीक्षा करने और परिवर्द्ध करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा जिसे वह न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) शंका की दशा में इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) <sup>1</sup>[राज्य सरकार]] यह अवधारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जाएगा: और

(ख) <sup>3</sup>[राज्य सरकार]] यह अवधारित कर सकेगी कि किन व्यक्तियों को लोक कार्यालयों का भारसाधक समझा जाएगा।

**34. अस्टाम्पित रसीदों के बारे में विशेष उपबन्ध**—जहां कि <sup>4</sup>[दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से] प्रभार्य ऐसी कोई रसीद, जिस पर स्टाम्प नहीं है लोक लेखा की संपरीक्षा के दौरान किसी अधिकारी के समक्ष निविदत्त या पेश की जाती है, वहां ऐसा अधिकारी अपने स्वविवेक से, लिखत को परिवर्द्ध करने की बजाय उसके बदले में एक सम्यक् रूप से स्टाम्पित रसीद दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

**35. सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य, आदि में अग्रह्य हैं**—शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जाएगी:

परन्तु—

(क) कोई ऐसी लिखत, <sup>5</sup>[ऐसे मुल्क के] जिससे वह प्रभार्य है, अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ पांच रुपए की शास्ति अथवा जब उसके उचित शुल्क या कमी वाले भाग के दस गुनी रकम, पांच रुपए से अधिक हो तब ऐसे शुल्क या भाग के दस गुने के बराबर राशि, दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी;

(ख) जहां कि किसी व्यक्ति ने, जिससे स्टाम्पित रसीद मांगी जा सकती थी, अस्टाम्पित रसीद दी है और यदि ऐसी रसीद स्टाम्पित होती तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होती, वहां ऐसी रसीद उसे निविदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा एक रुपए की शास्ति दे दिए जाने पर उसके विरुद्ध, साक्ष्य में ग्राह्य होगी;

(ग) जहां कि किसी प्रकार की कोई संविदा या करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने पत्र-व्यवहार द्वारा प्रभावी होता है और पत्रों में से किसी एक पर उचित स्टाम्प लगा है वहां उस संविदा या करार की बाबत यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है;

(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दांडिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने से निवारित नहीं करेगी;

(ङ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किए जाने से तब निवारित नहीं करेगी, जब कि ऐसी लिखत सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई है या उस पर इस अधिनियम की धारा 32 या इसके किसी अन्य उपबन्ध द्वारा यथा उपबन्धित कलक्टर का प्रमाणपत्र लगा हुआ है।

**36. लिखत का ग्रहण कहां प्रश्नगत नहीं किया जाएगा**—जहां कि कोई लिखत साक्ष्य में गृहीत की गई है, वहां धारा 61 में यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, उसी वाद या प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

**37. अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण**—<sup>6</sup>[राज्य सरकार]] यह उपबन्धित करने वाले नियम बना सकेगी कि जहां किसी लिखत पर पर्याप्त रकम का किन्तु अनुचित प्रकार का स्टाम्प लगा हुआ है, वहां वह शुल्क जिससे वह प्रभार्य है, दे दिए जाने पर

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गर्वनर जनरल” के स्थान पर “संग्राही सरकार” शब्द प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना शुल्क से” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गर्वनर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

यह प्रमाणित किया जाएगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और इस प्रकार प्रमाणित लिखत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अपने निष्पादन की तारीख से ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित है।

**38. परिवद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जाएंगी—**(1) जहां कि धारा 33 के अधीन किसी लिखत को परिवद्ध करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है और ऐसी लिखत को वह धारा 35 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शास्ति के या धारा 37 द्वारा यथा उपबन्धित किसी शुल्क के दिए जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर लेता है, वहां वह ऐसी लिखत की अधिप्रमाणीकृत एक प्रति और साथ-साथ उसकी बाबत उद्गृहीत शुल्क और शास्ति की रकम का कथन करते हुए एक लिखत प्रमाणपत्र कलक्टर को भेजेगा और ऐसी रकम कलक्टर को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेजेगा।

(2) अन्य हर मामले में, किसी लिखत को इस प्रकार परिवद्ध करने वाला व्यक्ति उसकी मूल प्रति कलक्टर के पास भेजेगा।

**39. धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन दी गई शास्ति वापस लौटा देने की कलक्टर की शक्ति—**(1) जब कि किसी लिखत की प्रति धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन कलक्टर को भेजी जाती है, तब यदि वह <sup>1\*\*\*</sup> ठीक समझे, तो पांच रुपए की शास्ति से अधिक शास्ति का भाग जो ऐसी लिखत की बाबत दी गई है वापस लौटा सकेगा।

(2) जब कि ऐसी लिखत केवल इस कारण परिवद्ध की गई है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब कलक्टर इस प्रकार दी गई पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा।

**40. परिवद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति—**(1) जबकि कलक्टर किसी लिखत को, जो केवल 2[दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से] प्रभार्य नहीं है या विनियम-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, धारा 33 के अधीन परिवद्ध करता है या धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा—

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह, यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ पांच रुपए की शास्ति अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से 3[अनधिक रकम], चाहे ऐसी रकम पांच रुपए से अधिक हो या कम हो, दी जाए:

परन्तु जब कि ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिवद्ध की गई है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलक्टर, ठीक समझता है, तो वह इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन हर एक प्रमाणपत्र, उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(3) जहां कि कोई लिखत धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर को भेजी गई है, वहां कलक्टर इस धारा द्वारा यथा उपबन्धित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिवन्धन अधिकारी को लौटा देगा।

**41. घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें—**केवल 4[दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से] प्रभार्य कोई लिखत या विनियम-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन या प्रथम निष्पादन की तारीख के एक वर्ष के भीतर कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है, और ऐसा व्यक्ति कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और कलक्टर को उचित शुल्क की रकम या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम देने की प्रस्थापना करता है और कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह धारा 33 और धारा 40 के अधीन कार्यवाही करने के बदले, ऐसी रकम स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा।

**42. उन लिखतों को पृष्ठांकित करना जिन पर धारा 35, 40 या 41 के अधीन शुल्क दिया जा चुका है—**(1) जब कि किसी लिखत की बाबत उद्गृहणीय शुल्क और शास्ति (यदि कोई हो), धारा 35, धारा 40 या धारा 41 के अधीन दी जा चुकी है, तब, यथास्थिति, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने वाला व्यक्ति या कलक्टर उस पर पृष्ठांकन द्वारा, यह बात कि ऐसी लिखत की बाबत, यथास्थिति, उचित शुल्क या उचित शुल्क और शास्ति उद्गृहीत की जा चुकी है (प्रत्येक की रकम वर्णित करते हुए) और उस व्यक्ति का, जिसने वह दी है नाम और निवास-स्थान प्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार पृष्ठांकित हर एक लिखत तब साक्ष्य में ग्राह्य होगी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और उस पर ऐसे कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे अधिप्रमाणित की जा सकेगी मानो वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी और इस निमित्त आवेदन किए

<sup>1</sup> 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा “इस निमित्त इसको किए गए आवेदन पर या, यदि कोई आवेदन नहीं किया गया हो तो मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी की सहमति से” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>2</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 6 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना या आधा आना शुल्क से” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 6 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना या आधा आना शुल्क से” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में से वह परिबद्ध करने वाले अधिकारी के पास पहुंची थी या जिसे वह व्यक्ति निदिष्ट करे, परिदत्त की जाएगी:

परन्तु—

(क) कोई भी ऐसी लिखत, जो धारा 35 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है, ऐसे परिबद्ध करने की तारीख के एक मास का अवसान होने के पूर्व या उस दशा में जिसमें कि कलक्टर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उसको और भी रोक रखना आवश्यक है और ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द नहीं किया है, इस प्रकार परिदत्त नहीं की जाएगी;

(ख) इस धारा की कोई भी बात, 'दी कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर (1882 का 14) की धारा 144, खण्ड 3 पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**43. स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन**—किसी लिखत की बाबत इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को प्रारम्भ कर देने या कोई शास्ति दे देने से किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत स्टाम्प विधि के विरुद्ध अपराध किया है, अभियोजित किया जाना वर्जित नहीं होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी अभियोजन, किसी ऐसी लिखत की दशा में जिसकी बाबत ऐसी शास्ति दी जा चुकी है, तब के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा, जब कि कलक्टर को यह प्रतीत होता है कि अपराध उचित शुल्क देने से बचने के आशय से किया गया था।

**44. शुल्क या शास्ति देने वाले व्यक्ति कतिपय मामलों में उसे वसूल कर सकेंगे**—(1) जहां कि किसी लिखत की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा धारा 35, धारा 37, धारा 40 या धारा 41 के अधीन कोई शुल्क दिया जा चुका है या शास्ति दी जा चुकी है, और किसी करार द्वारा या धारा 29 के उपबंधों के या उस समय जब ऐसी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लिखत के लिए उचित स्टाम्प के व्यय देने के लिए आबद्ध था, वहां प्रथम वर्णित व्यक्ति इस प्रकार दिए गए शुल्क या दी गई शास्ति की रकम ऐसे अन्य व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा।

(2) ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसी लिखत की बाबत मंजूर किया गया प्रमाणपत्र, उसमें प्रमाणित किए गए विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(3) यदि न्यायालय उचित समझे, तो ऐसी रकम किसी वाद या कार्यवाही में, जिसके ऐसे व्यक्ति पक्षकार हैं और जिसमें ऐसी लिखत साक्ष्य में पेश की गई है, खर्चे के बारे में किसी आदेश में सम्मिलित की जा सकेगी। यदि न्यायालय ऐसी रकम को ऐसे आदेश में सम्मिलित नहीं करता है, तो उस रकम की वसूली के लिए कोई भी अतिरिक्त कार्यवाहियां नहीं चलेंगी।

**45. कतिपय मामलों में शास्ति या अतिरिक्त शुल्क वापस लौटा देने की राजस्व प्राधिकारी की शक्ति**—(1) जहां कि धारा 35 या धारा 40 के अधीन कोई शास्ति दी गई है, वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उसके दिए जाने की तारीख के एक वर्ष के भीतर लिखत रूप में आवेदन किए जाने पर, ऐसी पूरी शास्ति को या उसका भाग वापस लौटा सकेगा।

(2) जहां कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की राय में उस शुल्क से, जो वैध रूप प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प-शुल्क प्रभारित किया गया है और धारा 35 या धारा 40 के अधीन दे दिया गया है, वहां ऐसा प्राधिकारी ऐसा शुल्क प्रभारित करने के आदेश के तीन मास के भीतर लिखत रूप में आवेदन किए जाने पर उस आधिक्य को वापस लौटा सकेगा।

**46. धारा 38 के अधीन भेजी गई लिखतों का खो जाने के लिए अदायित्व**—(1) यदि धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर को भेजी गई कोई लिखत पारेषण के दौरान खो जाती है या नष्ट हो जाती है या विक्षत हो जाती है तो उसे भेजने वाला व्यक्ति उसके ऐसे खो जाने, नष्ट हो जाने या विक्षत हो जाने के लिए किसी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

(2) जब कि कोई लिखत इस प्रकार भेजी जाने वाली है तो वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में से वह उसको परिबद्ध करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची थी, इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी एक प्रति ऐसे प्रथम वर्णित व्यक्ति के व्यय पर बनाई जाए और ऐसी लिखत परिबद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणीकृत की जाए।

**47. बिना स्टाम्प लगे विनियम-पत्र और वचन-पत्र उपस्थित किए जाने पर अदायगी करने वाले की स्टाम्प लगाने की शक्ति**—जब कि [2]दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से] प्रभार्य कोई विनियम-पत्र [3]या वचन-पत्र] भुगतान के लिए अस्टाम्पित रूप में उपस्थित किया गया है, तब वह व्यक्ति जिसके समक्ष वह इस प्रकार उपस्थित किया गया है, उस पर आवश्यक चिपकने वाला स्टाम्प लगा सकेगा और इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से उसे रद्द करने पर, ऐसे विनियम-पत्र [4]या वचन-पत्र] पर देय राशि को दे सकेगा और उस व्यक्ति पर शुल्क प्रभारित कर सकेगा जिसके द्वारा वह शुल्क दिया जाना चाहिए था या यथापूर्वोक्त देय राशि में से उसकी कटौती कर सकेगा और ऐसा विनियम-पत्र [4]या वचन-पत्र] जहां तक शुल्क का संबंध है ठीक और विधिमान्य समझा जाएगा:

<sup>1</sup> अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अनुसूची 1, आदेश 13, नियम 9।

<sup>2</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 7 द्वारा (1-10-1958 से) "एक आना शुल्क से" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "वचन-पत्र या चेक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "नोट या चेक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।



परन्तु इसमें की कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसी शास्ति या कार्यवाही से मुक्त नहीं करेगी जिसके लिए वह ऐसे विनियम-पत्र <sup>4</sup>[या वचन-पत्र] के संबंध में जिम्मेदार है।

**48. शुल्कों और शास्तियों की वसूली**—इस अध्याय के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिस द्वारा वे देय हैं, जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी।

## अध्याय 5

### कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों में छूट

**49. खराब हो गए स्टाम्पों के लिए छूट**—ऐसे नियमों के अधीन जो अपेक्षित साक्ष्य अथवा की जाने वाली जांच के बारे में <sup>1</sup>[<sup>2</sup>राज्य सरकार]] द्वारा बनाए जाएं, धारा 50 में विहित कालावधि के भीतर आवेदन किए जाने पर, कलक्टर का यदि उन तथ्यों के बारे में समाधान हो जाता है, तो इसमें इसके पश्चात्, वर्णित दशाओं में खराब हो गए द्यापित स्टाम्पों के लिए वह छूट दे सकेगा, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसे कागज पर का स्टाम्प, जो किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखी गई किसी लिखत के निष्पादित किए जाने के पूर्व अनवधानता और अपरिक्लिप्त रूप से खराब हो गया है या मिट गया है या लिखने की गलती से या किसी अन्य कारण से आशयित प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो गया हो;

(ख) किसी ऐसी दस्तावेज पर का स्टाम्प, जो पूर्णतः या भागतः लिखा गया है किन्तु जो उसके किसी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित या निष्पादित नहीं किया गया है;

(ग) विनियम-पत्र, <sup>3</sup>[जो मांग से अन्यथा देय है] <sup>4</sup>\*\*\*\* या वचन-पत्र, की दशा में—

(1) किसी <sup>5</sup>[ऐसे विनियम-पत्र] पर <sup>6</sup>\*\*\*\* का स्टाम्प, जो लेखीवाल द्वारा, या उसकी ओर से हस्ताक्षरित है किन्तु जो प्रतिगृहीत नहीं किया गया है या किसी भी अन्य रीति से उपयोग में नहीं लाया गया है या प्रतिग्रहण के लिए निविदत्त किए जाने के सिवाय किसी और प्रयोजन के लिए उसके हाथ से परिदत्त नहीं किया है:

परन्तु यह तभी जब कि उस कागज पर जिस पर कोई ऐसा स्टाम्प द्यापित है, इस आशय वाला कोई हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है कि वह ऐसे विनियम-पत्र <sup>6</sup>\*\*\*\* के प्रतिग्रहण के रूप में है या जिस पर प्रतिग्रहण के वास्ते तत्पश्चात् लिखा जाना है;

(2) किसी ऐसे वचन-पत्र पर का स्टाम्प, जो लिखने वाले द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित है और जिसका किसी भी रीति से उपयोग नहीं किया गया है या जो अपने हाथ से बाहर परिदत्त नहीं किया है;

(3) <sup>5</sup>[किसी ऐसे विनियम-पत्र] <sup>6</sup>\*\*\*\* या वचन-पत्र के लिए उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित स्टाम्प, जो उसके लेखीवाल द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित है, किन्तु जो किसी लोप या गलती के कारण खराब या अनुपयोगी हो गया है, भले ही वह विनियम-पत्र <sup>6</sup>\*\*\*\* की दशा में प्रतिग्रहण के लिए उपस्थित कर दिया गया हो या वह प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित किया जा चुका हो या वचन-पत्र होने की दशा में आदाता को परिदत्त किया जा चुका हो:

परन्तु यह तब जब कि दूसरा संपूरित और सम्यक् रूप से स्टाम्पित विनियम-पत्र <sup>4</sup>\*\*\*\* या वचन-पत्र जो पूर्वोक्त लोप या गलती की शुद्धि के सिवाय, उस विनियम-पत्र <sup>4</sup>\*\*\*\* या वचन-पत्र को जो ऐसे खराब हो जाने से हर एक विशिष्टि में, समरूप है, पेश कर दिया गया है;

(घ) उसके किसी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प, जो—

(1) तत्पश्चात्, प्रारम्भ से ही विधि की दृष्टि से पूर्ण रूप से शून्य पाई गई है;

(2) तत्पश्चात्, उसमें की किसी गलती या भूल के कारण मूल रूप से आशयित प्रयोजन के लिए वह अनुपयुक्त पाई गई है;

(3) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना आवश्यक था, उसे निष्पादित किए बिना मृत्यु हो जाने या किसी ऐसे व्यक्ति के उसको निष्पादित करने से इन्कार किए जाने के कारण, वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सके;

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा “चेक” शब्द का लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा “किसी विनियम-पत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा “या चेक” शब्द का लोप किया गया।

(4) किसी आवश्यक पक्षकार द्वारा उसका निष्पादन न किए जाने और उसको हस्ताक्षरित करने में उसकी असमर्थता या उससे इंकार किए जाने के कारण उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह आशयित है तथ्यतः अपूर्ण और अपर्याप्त है;

(5) उसके अधीन कार्य करने से, या उसके द्वारा प्रतिभूत किए जाने के लिए आशयित, कोई अग्रिम धन देने से किसी व्यक्ति के इन्कार करने के कारण या उसके द्वारा प्रदान किए गए किसी पद के लेने से, इन्कार करने या अप्रतिगृहीत किए जाने के कारण वह आशयित प्रयोजन के लिए पूर्णतः निष्प्रभावी हो गई है;

(6) उसके द्वारा प्रभावी किए जाने के लिए आशयित ऐसे संव्यवहार के परिणामस्वरूप जो उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी हुआ है अनुपयोगी हो जाता है, और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है;

(7) कम मूल्य का है और उसके द्वारा प्रभावी किए जाने के लिए आशयित संव्यवहार उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावी किया जा चुका है और जिस पर उससे कम मूल्य का स्टाम्प नहीं है;

(8) अनवधानता से और अपरिक्लपनापूर्वक खराब हो गया है जिसके बदले में उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी प्रयोजन के लिए लिखी गई कोई अन्य लिखत निष्पादित की गई है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित है;

परन्तु यह तब जब कि निष्पादित की गई किसी लिखत के मामले में कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है जिसमें वह लिखत साक्ष्य में दी जा सकती या पेश की जा सकती थी अथवा दी गई या पेश की गई है और जिसमें वह लिखत रद्द नहीं की गई है।

**स्पष्टीकरण**—धारा 32 के अधीन कलक्टर का इस आशय का प्रमाणपत्र कि लिखत पर प्रभार्य सम्पूर्ण शुल्क दे दिया गया है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत एक स्थापित स्टाम्प है।

**50. धारा 49 के अधीन राहत दिए जाने के लिए आवेदन कब किया जाएगा**—धारा 49 के अधीन राहत दिए जाने के लिए आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर, अर्थात्—

(1) खण्ड (घ) (5) में वर्णित मामलों में, लिखत की तारीख के दो मास के भीतर;

(2) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई भी लिखत निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह मास के भीतर;

(3) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है, लिखत की तारीख के छह मास के भीतर या यदि उस पर तारीख नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किए जाने के छह मास के भीतर,

किया जाएगा:

परन्तु—

(क) जब कि खराब हो गई लिखत पर्याप्त कारण से <sup>1</sup>[भारत] के बाहर भेज दी गई है, तब आवेदन उसके <sup>1</sup>[भारत] में वापस आ जाने के छह मास के भीतर किया जा सकेगा;

(ख) जब कि कोई लिखत जिसके स्थान पर अन्य लिखत प्रतिस्थापित की जा चुकी है, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त कालावधि के भीतर रद्द करने के लिए पेश नहीं की जा सकती है तब आवेदन प्रतिस्थापित की गई लिखत के निष्पादन की तारीख के छह मास के भीतर किया जा सकेगा।

**51. छपे प्ररूपों की दशा में छूट जिनकी निगमों को और आवश्यकता नहीं हो**—मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी <sup>2</sup>या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो], <sup>3</sup>[किसी बैंककार द्वारा या] किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा लिखतों के छपे हुए प्ररूपों के लिए उपयोग में लाए गए स्टाम्पित कागजों के लिए समय परिसीमित किए बिना, छूट उस दशा में दे सकेगा, जिसमें कि किसी पर्याप्त कारण से ऐसे प्ररूप उपर्युक्त <sup>3</sup>[बैंककार,] कम्पनी या निगमित निकाय द्वारा अपेक्षित न रह गए हों, परन्तु यह तब जब कि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे स्टाम्पित कागजों की बाबत शुल्क सम्यक् रूप से दे दिया गया है।

**52. गलती से उपयोग किए गए स्टाम्पों के लिए छूट**—(क) जबकि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी लिखत के लिए जिस पर शुल्क प्रभार्य है ऐसे स्टाम्प से जो ऐसी लिखत के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है, भिन्न प्रकार का स्टाम्प या

<sup>1</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1-4-1956 से) “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची के भाग 1 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

आवश्यकता से अधिक मूल्य के स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है या किसी ऐसे लिखत के लिए, जिस पर कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है, किसी स्टाम्प का अनवधानता से उपयोग किया है; या

(ख) जबकि किसी लिखत के लिए उपयोग में लाया गया कोई स्टाम्प, ऐसी लिखत के धारा 13 के उपबन्धों के उल्लंघन में लिखी गई होने के कारण, अनवधानता से धारा 15 के अधीन अनुपयोगी हो गया है;

तब कलक्टर, लिखत की तारीख के छह मास के भीतर या, यदि उस पर तारीख नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किए जाने के छह मास के भीतर आवेद किए जाने पर और यदि वह लिखत शुल्क से प्रभार्य है तो लिखत के उचित शुल्क से पुनः स्टाम्पित किए जाने पर, उसको रद्द कर सकेगा और इस प्रकार गलती से उपयोग किए गए या अनुपयोगी हुए स्टाम्प के लिए खराब हुई स्टाम्प की तरह छूट दे सकेगा।

**53. खराब हो गए या गलती से उपयोग किए गए स्टाम्पों के लिए छूट किस प्रकार दी जाएगी—**कलक्टर किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें खराब हो गए या गलती से उपयोग किए गए स्टाम्पों के लिए छूट दी गई है, उसके बदले में दे सकेगा—

(क) उसी वर्णन और मूल्य के अन्य स्टाम्प, या

(ख) उस दशा में जिसमें कि ऐसा अपेक्षित हो और वह उचित समझता है, उतने ही मूल्य की रकम में किसी अन्य वर्णन के स्टाम्प, या

(ग) स्वविवेकानुसार, प्रत्येक रुपए या रुपए के प्रभाग के लिए [दस नए पैसे] कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि।

**54. उन स्टाम्पों के लिए छूट, जो उपयोग में नहीं लाने हैं—**जब कि किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पें हैं, जो खराब नहीं हैं या आशयित प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त या अनुपयोगी नहीं हो गई हैं किन्तु जिसका या जिनका उस द्वारा तुरन्त उपयोग नहीं किया जाना है, तब कलक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पों के मूल्य के बराबर धनराशि उसमें से प्रत्येक रुपए या रुपए के प्रभाग के लिए [दस नए पैसे] कटौती करके ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे रद्द किए जाने को परिदत्त किए जाने पर और कलक्टर के समाधान होने पर निम्नलिखित साबित करने पर वापस दे सकेगा—

(क) कि ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पें ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के सद्भावी आशय से क्रय की गई थीं; और

(ख) कि उसने उनकी पूरी कीमत दी है; और

(ग) कि वे उस तारीख के, जिसको वे इस प्रकार परिदत्त की गई थीं, ठीक पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर ऐसे क्रय की गई थीं:

परन्तु जहां कि कोई व्यक्ति स्टाम्पों का अनुज्ञप्त विक्रेता है, वहां यदि कलक्टर उचित समझता है तो वह विक्रेता द्वारा वस्तुतः दी गई राशि, यथापूर्वोक्त कोई कटौती किए बिना वापस दे सकेगा।

**2[54क. आनों में अभिहित मूल्य वाली स्टाम्पों मद्धे मोक—**जबकि किसी व्यक्ति के पास चार आने या उसके गुणितों में अभिहित मूल्य से भिन्न किन्हीं अभिहित मूल्यों की स्टाम्प या स्टाम्पें हैं और ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पें खराब नहीं हो गई हैं, तब कलक्टर धारा 54 में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को, भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 14 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पों की परिकलित धनराशि उस व्यक्ति द्वारा ऐसी स्टाम्प या स्टाम्पों के कलक्टर को भारतीय स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का 19) के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर परिदत्त कर दिए जाने पर वापस लौटा देगा।]

**3[54ख. शरणार्थी सहायता स्टाम्पों के लिए मोक—**धारा 54 में किसी बात के होते हुए भी जब किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे स्टाम्प हैं जिन पर “शरणार्थी सहायता” लिखा है (जो स्टाम्प धारा 3क के लोप के पूर्व उसके अनुसरण में जारी किए गए स्टाम्प हैं) और ऐसे स्टाम्प विकृत नहीं हुए हैं, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 (1973 का 13) के प्रारंभ से छह मास के भीतर कलक्टर को ऐसे स्टाम्पों का परिदान किए जाने पर कलक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्टाम्पों के मूल्य का प्रतिदाय धन में करेगा या उसके बदले में उसी मूल्य के अन्य स्टाम्प देगा:

परन्तु राज्य सरकार ऐसे प्रतिदायों के लिए दावों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने की दृष्टि से, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, कोई अन्य प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसका अनुसरण भी ऐसे प्रतिदायों का दावा करने के लिए किया जा सकेगा।

**55. कतिपय डिबेंचरों के नवीकरण पर मोक—**जब कि सम्यक् रूप से स्टाम्पित कोई डिबेंचर उन्हीं निबन्धनों पर किसी नवीन डिबेंचर को निर्गमित करके किया जाता है, तब कलक्टर, उस व्यक्ति को जिसने ऐसा डिबेंचर निर्गमित किया है मूल या नवीन डिबेंचर पर स्टाम्प के मूल्य में से जो भी कम हो, उसे एक मास के भीतर आवेदन किए जाने पर, वापस लौटा सकेगा:

<sup>1</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 8 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 9 द्वारा (1-10-1958 से) अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1973 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा (1-4-1973 से) अंतःस्थापित।

परन्तु यह तब जब कि मूल डिबेंचर कलक्टर के समक्ष पेश किया गया हो और उसके द्वारा ऐसी रीति से, जैसी [राज्य सरकार] निदिष्ट करे, रद्द किया गया हो।

**स्पष्टीकरण**—डिबेंचर के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निम्नलिखित परिवर्तनों के होते हुए भी इस धारा के अर्थ में उन्हीं निबन्धनों पर नवीकृत किया गया है—

(क) मूल डिबेंचर के स्थान पर दो या अधिक डिबेंचरों का निर्गमित किया जाना, परन्तु प्रतिभूत की गई कुल रकम उतनी ही हो;

(ख) दो या अधिक मूल डिबेंचरों के स्थान पर एक डिबेंचर निर्गमित करना, परन्तु प्रतिभूत की गई कुल रकम उतनी ही हो;

(ग) नवीकरण के समय मूल धारक के नाम के स्थान पर धारक के नाम का प्रतिस्थापन; और

(घ) ब्याज की दर या उसके दिए जाने की तारीखों विषयक परिवर्तन।

## अध्याय 6

### निर्देश और पुनरीक्षण

**56. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी का नियंत्रण और उसे मामले का कथन**—(1) वे शक्तियाँ, जो कलक्टर द्वारा अध्याय 4 और अध्याय 5 के अधीन 2 और धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन] प्रयोक्तव्य हैं, सभी मामलों में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगी।

(2) यदि धारा 31, धारा 40 या धारा 41 के अधीन कार्य करने वाले कलक्टर को उस शुल्क की रकम के बारे में, जिससे कोई लिखत प्रभार्य है, कोई संदेह होता है तो वह मामले का एक कथन बनाएगा और उसे अपनी राय सहित मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

(3) ऐसा प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति कलक्टर को भेजेगा जो ऐसे विनिश्चय के अनुरूप शुल्क (यदि कोई हो) निर्धारित और प्रभारित करने की कार्यवाही करेगा।

**57. उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन**—(1) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन अपने को निर्देशित किए गए या अन्यथा उसकी जानकारी में आए किसी मामले का कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे मामले को, उस पर अपनी राय सहित निर्देशित कर सकेगा—

<sup>3</sup>[(क) उस दशा में जिसमें कि वह किसी राज्य में उद्भूत हुआ है, उस राज्य के उच्च न्यायालय को;]

<sup>4</sup>[(ख) उस दशा में, जिसमें कि वह दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है दिल्ली के उच्च न्यायालय को;

5\* \* \* \*

<sup>6</sup>[(ग) उस दशा में जिसमें कि वह अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, गोहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय) को;]

(घ) उस दशा में, जिसमें कि वह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्रों में उद्भूत हुआ है, कलकत्ता उच्च न्यायालय को;

(ङ) उस दशा में, जिसमें कि वह 7[लक्षद्वीप] राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, केरल उच्च न्यायालय को;

<sup>1</sup>[(डड) उस दशा में, जिसमें कि वह चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय को;]

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड (क) से खण्ड (छ) तक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघ विषयों का विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-11-1966 से) खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषयों का विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (25-1-1971 से) खण्ड (खख) का लोप किया गया।

<sup>6</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों का विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> लक्कादीव, मिनिक्कोय और अमीन दीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) विधि अनुकूलन, आदेश, 1974 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-11-1973 से) “लक्कादीव, मिनिक्कोय और अमीन दीवी द्वीप” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2[(च) उस दशा में, जिसमें कि वह दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में उद्भूत हुआ है, मुंबई के उच्च न्यायालय को।]

(2) ऐसा प्रत्येक मामला उच्च न्यायालय <sup>3\*\*\*</sup> के, जिसको वह निर्देशित किया गया है, कम से कम तीन न्यायाधीशों द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

**58. कथित मामले के बारे में अतिरिक्त विशिष्टियों की मांग करने की उच्च न्यायालय की शक्ति**—यदि उच्च न्यायालय <sup>4\*\*\*</sup> का समाधान नहीं होता कि मामले में अंतर्विष्ट कथन तद्द्वारा उठाए गए प्रश्नों को अवधारित करने में उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, तो वह न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा वह कथन तैयार किया गया था, उसमें ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए, जैसे वह न्यायालय इस निमित्त निर्दिष्ट करे, मामले को वापस भेज सकेगा।

**59. कथित मामले के निपटाने की प्रक्रिया**—(1) उच्च न्यायालय <sup>3\*\*\*</sup> किसी ऐसे मामले की सुनवाई पर, तद्द्वारा उठाए गए प्रश्न विनिश्चित करेगा और उस पर, उन आधारों को अंतर्विष्ट करते हुए जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, अपना निर्णय देगा।

(2) न्यायालय उस राजस्व प्राधिकारी को, जिसके द्वारा मामले का कथन किया गया था, ऐसे निर्णय की प्रति जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और जिस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे, भेजेगा, और राजस्व प्राधिकारी, ऐसी प्रति मिलने पर, मामले का निपटारा ऐसे निर्णय के अनुरूप करेगा।

**60. उच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों द्वारा मामलों का कथन**—(1) यदि धारा 57 में वर्णित न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय को धारा 35 के परन्तुक (क) के अधीन किसी लिखत की बाबत देय शुल्क की रकम के बारे में सन्देह है, तो वह न्यायाधीश मामले का एक कथन तैयार करेगा और उस पर अपनी राय सहित उसे उच्च न्यायालय, <sup>3\*\*\*</sup> के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा जिसको यदि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी होता, तो वह धारा 57 के अधीन उसे निर्देशित करता।

(2) ऐसा न्यायालय मामले पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वह धारा 57 के अधीन निर्देशित किया गया हो, तथा अपने निर्णय की प्रति, जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को और ऐसी ही दूसरी प्रति निर्देश करने वाले न्यायाधीश को भेजेगा जो ऐसी प्रति प्राप्त होने पर मामले का, ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटारा करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश उस दशा में जिसमें कि वे जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किए जाते हैं उस जिला न्यायालय की मार्फत किए जाएंगे और उस दशा में, जिसमें कि वे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किए जाते हैं ठीक वरिष्ठ न्यायालय की मार्फत किए जाएंगे।

**61. स्टाम्पों की पर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कतिपय विनिश्चयों का पुनरीक्षण**—(1) जब कि कोई न्यायालय अपनी सिविल या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या कोई दाण्डिक न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित रूप में या ऐसी लिखत के रूप में, जिसके लिए स्टाम्प अपेक्षित नहीं है या धारा 35 के अधीन शुल्क और शास्ति दे दिए जाने पर साक्ष्य में ग्रहण करने का कोई आदेश देता है, तो वह न्यायालय जिसको ऐसे प्रथम वर्णित न्यायालय से अपील होती है या निर्देश किए जाते हैं, स्वप्रेरणा से या कलक्टर के आवेदन पर ऐसे आदेश पर विचार कर सकेगा।

(2) यदि ऐसे न्यायालय की इस प्रकार विचार करने के पश्चात् यह राय है कि ऐसी लिखत धारा 35 के अधीन शुल्क और शास्ति दिए बिना या दिए गए शुल्क और शास्ति से अधिक शुल्क और शास्ति के दिए बिना, साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था, तो वह उस आशय की एक घोषणा अभिलिखित करेगा और शुल्क की, जिससे ऐसी लिखत प्रभाव्य है, रकम अवधारित करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे में या शक्ति में ऐसी लिखत उस समय है, वह लिखत पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और पेश किए जाने पर उसे परिवर्द्ध कर सकेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अभिलिखित की गई है, तब उसे अभिलिखित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति कलक्टर को भेजेगा, और जहां कि उससे सम्बन्धित लिखत परिवर्द्ध की गई है या अन्यथा ऐसे न्यायालय के कब्जे में है वहां वह ऐसी लिखत भी उसे भेजेगा।

(4) कलक्टर, तदुपरि, ऐसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश में अथवा धारा 42 या धारा 43 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को स्टाम्प विधि के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में कलक्टर का यह विचार है कि उसने ऐसी लिखत की बाबत वह अपराध किया है, अभियोजित कर सकेगा:

परन्तु—

<sup>1</sup> पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघ विषयों का विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “मुख्य न्यायालय या न्यायिक आयुक्त के न्यायालय” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा “मुख्य न्यायालय या न्यायिक आयुक्त के न्यायालय” शब्दों का लोप किया गया।

(क) ऐसा कोई भी अभियोजन उस दशा में जिसमें कि शुल्क और शास्ति सहित वह रकम जो ऐसे न्यायालय के अवधारण के अनुसार धारा 35 के अधीन लिखत की बाबत देय थी, कलक्टर को दे दी गई है, तब के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा जबकि वह यह समझता है कि अपराध उचित शुल्क देने में अपवंचन करने के आशय से किया गया था;

(ख) ऐसे अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई कोई भी घोषणा, किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण करने के किसी आदेश या धारा 42 के अधीन अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र की विधिमाम्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

## अध्याय 7

### दांडिक अपराध और प्रक्रिया

#### 62. ऐसी लिखत के, जो सम्यक् रूप से स्ताम्पित नहीं है, निष्पादन, आदि के लिए शास्ति—(1) जो कोई व्यक्ति—

(क) किसी विनिमय-पत्र [जो मांग पर से अन्यथा देय है,]<sup>2</sup> या वचन-पत्र को उसे सम्यक् रूप से स्ताम्पित किए बिना लिखेगा, बनाएगा, निर्गमित करेगा, पृष्ठांकित करेगा या अंतरित करेगा, या उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा अथवा प्रतिग्रहण या भुगतान के लिए उपस्थित करेगा या उसके लिए दी जाने वाली कोई रकम प्रतिगृहीत करेगा, देगा या उसे प्राप्त करेगा या उसे किसी भी रीति से परक्रामित करेगा; या

(ख) शुल्क से प्रभार्य किसी अन्य लिखत को, उसे सम्यक् रूप से स्ताम्पित किए बिना निष्पादित करेगा या उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा; या

(ग) किसी परोक्षी के अधीन, जो सम्यक् रूप से स्ताम्पित नहीं है, मत देगा या मत देने का प्रयत्न करेगा,

वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु जबकि धारा 35, धारा 40 या धारा 61 के अधीन किसी लिखत की बाबत कोई शास्ति दे दी गई है, तब ऐसी शास्ति की रकम, तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी शास्ति दे दी है उसी लिखत की बाबत इस धारा के अधीन अधिरोपित किए गए जुर्माने में से, (यदि कोई हो) कम कर दी जाएगी।

(2) यदि शेयर-वारण्ट सम्यक् रूप से स्ताम्पित किए गए बिना निर्गमित किया गया है तो उसे निर्गमित करने वाली कंपनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसके निर्गमित किए जाने के समय उस कंपनी का प्रबन्ध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

#### <sup>3</sup>[62क. धारा 9क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति, जिससे,—

(क) धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन शुल्क के संग्रहण की अपेक्षा है; उसके संग्रहण में असफल रहेगा; या

(ख) धारा 9क की उपधारा (4) के अधीन, उसमें विनिर्दिष्ट समय समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को शुल्क का अंतरण करने की अपेक्षा है, ऐसे समय के भीतर अंतरण करने में असफल रहेगा,

वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो ऐसे व्यक्तिक्रम में, ग्रहण या अंतरण के एक प्रतिशत तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, —

(क) जिससे धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन सरकार को संव्यवहारों के व्यौरे देने की अपेक्षा है, उसे देने में असफल रहेगा; या

(ख) जो ऐसा दस्तावेज देगा या ऐसी घोषणा करेगा, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने के बारे में ऐसा व्यक्ति जानता है या जिसके मिथ्या होने का उसे विश्वास है,

वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए के जुर्माने से या एक करोड़ रुपए के जुर्माने से, इनमें से जो भी कम हो, दंडनीय होगा।]

63. चिपकने वाले स्ताम्प को काटने में त्रुटि के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 12 के अधीन किसी चिपकने वाले स्ताम्प को काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गई रीति से ऐसे स्ताम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

64. धारा 27 के उपबंधों का अनुपालन करने में लोप करने के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के आशय से—

<sup>1</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा “चेक” शब्द का लोप किया गया।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।

(क) कोई ऐसी लिखत निष्पादित करेगा जिसमें वह तथ्य और परिस्थितियाँ, जिनकी बाबत धारा 27 के अधीन यह अपेक्षित है कि वे ऐसी लिखत में उपवर्णित की जाएँ पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित नहीं की गई हैं; या

(ख) किसी लिखत के तैयार करने में नियोजित होने पर या उसके बारे में संबंधित होने पर, उसमें सभी ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ पूर्णतः और सत्यतः उपवर्णित करने में उपेक्षा करेगा या लोप करेगा; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन सरकार को किसी शुल्क या शास्ति से वंचित करने की परिकल्पना से कोई अन्य कार्य करेगा,

वह जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**65. रसीद देने से इंकार करने के लिए और रसीदों पर शुल्क का अपवंचन करने की युक्तियों के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति—**

(क) धारा 30 के अधीन रसीद देने की अपेक्षा किए जाने पर, उसे देने से इंकार या उपेक्षा करेगा; या

(ख) सरकार को किसी शुल्क की बाबत धोखा देने के आशय से, बीस रुपए की रकम से अधिक धनराशि देने पर या बीस रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति का परिदान करने पर, बीस रुपए से अनधिक रकम या मूल्य की रसीद देगा या उस धनराशि या संपत्ति को, जो संदत्त या परिदत्त की गई हैं, पृथक् या विभाजित करेगा,

वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**66. पालिसी न लिखने या पालिसी जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, लिखने के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति—**

(क) किसी बीमे को संविदा के लिए कोई प्रीमियम या प्रतिफल प्राप्त करेगा या उसके लिए पावना लेगा और ऐसे प्रीमियम या प्रतिफल प्राप्त करने या उसके लिए पावना लेने के एक मास के भीतर ऐसी बीमे की सम्यक् रूप से स्टाम्पित पालिसी नहीं लिखेगा और उसे निष्पादित नहीं करेगा;

(ख) कोई ऐसी पालिसी, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, लिखेगा, निष्पादित करेगा या परिदत्त करेगा, या किसी ऐसी पालिसी पर या उसकी बाबत कोई धनराशि देगा या लेखांकित करेगा या देने या लेखांकित करने का करार करेगा,

वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**67. विनिमय-पत्रों या सामुद्रिक पालिसियों को जिनका संवर्गों में होना तात्पर्यित है, पूरी संख्या में न लिखने के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति, ऐसा विनिमय-पत्र, [जो मांग पर से अन्यथा देय है,] या सामुद्रिक बीमा पालिसी, जिसका दो या अधिक के संवर्गों में लिखा जाना या निष्पादित किया जाना तात्पर्यित है, लिखेगा या निष्पादित करेगा, और साथ ही जो ऐसे विनिमय-पत्रों या पालिसियों को पूरी संख्या में, जिसमें ऐसे विनिमय-पत्र या पालिसी का संवर्ग में होना तात्पर्यित है, सम्यक् रूप से स्टाम्पित कागज पर नहीं लिखेगा या निष्पादित नहीं करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।**

**68. राजस्व विभाग को धोखा देने के लिए विनिमय-पत्रों पर आगे की तारीख डालने या अन्य युक्तियों के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति—**

(क) सरकार को किसी शुल्क की बाबत धोखा देने के आशय से, कोई ऐसा विनिमय-पत्र या वचन-पत्र लिखेगा, बनाएगा या निर्गमित करेगा, जिस पर उस तारीख की बाद की तारीख है जिसको ऐसा विनिमय-पत्र या वचन-पत्र वस्तुतः लिखा या बनाया गया था; या

(ख) यह जानते हुए कि ऐसे विनिमय-पत्र या वचन-पत्र पर इस प्रकार आगे की तारीख डाली गई है, प्रतिग्रहण या भुगतान के लिए पृष्ठांकित करेगा, अन्तरित करेगा या उपस्थित करेगा, या ऐसा विनिमय-पत्र या वचन-पत्र प्रतिगृहीत करेगा, संदत्त करेगा या उसका भुगतान करेगा या भुगतान प्राप्त करेगा या उसे किसी भी रीति से परक्रामित करेगा; या

(ग) ऐसे ही आशय से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विशेषतः उपबन्धित न किया गया कोई कार्य, उपाय या युक्ति करेगा या उससे सम्बन्धित होगा,

वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**69. स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम के भंग के और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति—**

(क) स्टाम्पों के विक्रय के लिए नियुक्त होते हुए धारा 74 के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा; और

(ख) इस प्रकार नियुक्त न होते हुए किसी स्टाम्प का (जो [दस नए पैसे या पाँच नए पैसे वाले] चिपकने वाले स्टाम्प से भिन्न है), विक्रय करेगा या उसे विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा,

<sup>1</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 10 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना या आधा आना वाले” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

**70. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन**—(1) इस अधिनियम या एतद्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध की बाबत कोई भी अभियोजन, कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी की, जिसे इस निमित्त <sup>1</sup>[<sup>2</sup>राज्य सरकार]] साधारणतः या कलक्टर विशेषतः प्राधिकृत करे, मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

(2) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा साधारणतः या विशेषतः प्राधिकृत अन्य अधिकारी किसी ऐसे अभियोजन को रोक सकेगा या किसी ऐसे अपराध का शमन कर सकेगा।

(3) किसी ऐसे शमन की रकम, धारा 48 द्वारा उपबन्धित रीति से वसूलीय होगी।

**71. मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता**—प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट से या ऐसे मजिस्ट्रेट से, जिसकी शक्तियां द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से कम नहीं हैं, भिन्न कोई भी मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

**72. विचारण का स्थान**—किसी लिखत की बाबत किया गया ऐसा हर अपराध, किसी जिले या प्रेसिडेन्सी नगर में, जिसमें ऐसी लिखत पाई गई है, और साथ-साथ किसी जिले या प्रेसिडेन्सी नगर में, जिसमें ऐसा अपराध तत्समय प्रवृत्त दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विचारित किया जा सकता है, विचारित किया जा सकेगा।

## अध्याय 8

### अनुपूरक उपबन्ध

**73. पुस्तकें आदि, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी**—प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाए कलक्टर द्वारा लिखत रूप में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को ऐसे प्रयोजन के लिए किसी फीस या प्रभार के बिना उन रजिस्ट्रों, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करने देगा और जो टिप्पण और उद्धरण, वह आवश्यक समझे, लेने देगा।

**3[73क. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए ऐसे नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार की ओर से स्टाक एक्सचेंज द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम द्वारा उसके क्रेता से स्टांप शुल्क का संग्रहण करने की रीति ;

(ख) धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार की ओर से निक्षेपागार द्वारा अंतरक से स्टांप शुल्क का संग्रहण करने की रीति ;

(ग) धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन राज्य सरकार की ओर से निक्षेपागार द्वारा निर्गमकर्ता से स्टांप शुल्क का संग्रहण करने की रीति ;

(घ) धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार को स्टांप शुल्क के अंतरण की रीति;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।]

**4[(74ख. निदेश जारी करने और कतिपय प्राधिकारियों को अनुदेश, आदि जारी करने हेतु प्राधिकृत करने के शक्ति**—केन्द्रीय सरकार अध्याय 2 के भाग कक और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए,—

(क) ऐसे विषयों से संबंधित और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, निदेश जारी कर सकेगी;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश, परिपत्र या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगी।]

**74. स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति**—<sup>5</sup>[राज्य सरकार] <sup>6\*\*\*</sup> निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी—

(क) स्टाम्पों और स्टाम्पित कागजों का प्रदाय और विक्रय;

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय शासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 144 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “संग्राही सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन” शब्दों का लोप किया गया।



(ख) वे व्यक्ति, केवल जिनके द्वारा ऐसा विक्रय संचालित किया जाएगा; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक :

परन्तु ऐसे नियम <sup>1</sup>[दस नए पैसे या पांच नए पैसे] चिपकने वाले स्टाम्पों के विक्रय को निर्बंधित नहीं करेंगे।

**75. साधारणतः अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति**—<sup>1</sup>[राज्य सरकार,] इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में, पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होंगे।

**76. नियमों का प्रकाशन**—<sup>2</sup>[(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।]

(2) इस धारा द्वारा यथा अपेक्षित रूप से प्रकाशित सभी नियमों का ऐसे प्रकाशन पर वही प्रभाव होगा मानो वे इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित हों।

<sup>3</sup>[(2क). इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

<sup>4</sup>[(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

<sup>5</sup>[**76क. कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन**—<sup>6</sup>[<sup>7</sup>\*\*\* राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] निम्नलिखित प्रत्यायोजित कर सकेगी:—

(क) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को, धारा 2(9), (33)(3)(ख), 70(1), 74 और 78 द्वारा प्रदत्त की गई सभी या कोई भी शक्तियां, और

(ख) किसी अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारी को, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 45(1), (2), 56 (1) और 70 (2) द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई सभी या कोई भी शक्तियां।

**77. न्यायालय फीस के बारे में व्यावृत्ति**—इस अधिनियम की कोई भी बात, न्यायालय फीस संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन प्रभार्य शुल्कों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

<sup>8</sup>[**77क. कतिपय स्टाम्पों के बारे में व्यावृत्ति**—सभी स्टाम्प, जो चार आने या उसके गुणित वाले हों, यथास्थिति, पच्चीस नए पैसे या उसके गुणित वाले मूल्य के स्टाम्प समझे जाएंगे और तदनुसार इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होंगे।]

**78. अधिनियम का अनुवाद किया जाना और सस्ते बेचे जाना**—प्रत्येक राज्य सरकार अपने द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों की प्रधान जनभाषाओं में इस अधिनियम के अनुवाद कराने के लिए और प्रत्येक प्रति के <sup>9</sup>[पच्चीस नए पैसे] से अतिरिक्त मूल्य पर बेचे जाने के लिए उपबन्ध करेगी।

**79. [निरसन।]**—निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित।

<sup>1</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 10 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना या आधा आना के” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>5</sup> 1914 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> कोष्ठकों और अंकों का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “केन्द्रीय सरकार, भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 124(1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>8</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 11 द्वारा (1-10-1958 से) अंतःस्थापित।

<sup>9</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 12 द्वारा (1-10-1958 से) “चार आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**अनुसूची 1**  
**लिखतों पर स्टाम्प शुल्क**  
(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(1)	(2)
<p><b>1. अभिस्वीकृति</b>, किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपए से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो:</p> <p style="padding-left: 40px;">परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या व्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का, अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।</p> <p><b>2. प्रशासन-बन्धपत्र</b>, जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 (1865 का 10) की धारा 256 के, गवर्नमेन्ट सेविंग्स बैंक ऐक्ट, 1873 (1873 का 5) की धारा 6 के, प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अधिनियम, 1881 (1881 का 5) की धारा 78 के, या सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐक्ट, 1889 (1889 का 7) की धारा 9 या धारा 10 के अधीन दिया गया कोई बन्धपत्र है—</p> <p style="padding-left: 40px;">(क) जहां कि उसकी रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p style="padding-left: 40px;">(ख) किसी अन्य मामले में,</p> <p><b>3. दत्तक विलेख</b>, अर्थात् कोई लिखत (विल से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।</p> <p><b>अधिवक्ता</b>, अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि (सं० 30) देखिए।</p> <p><b>4. शपथ-पत्र</b>, जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।</p> <p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>लिखत रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब कि वह—</p> <p style="padding-left: 40px;"><sup>1</sup>[(क) 2<sup>ड</sup>इंडियन आर्मी ऐक्ट, 1911 (1911 का 8) <sup>3</sup>या 4<sup>ड</sup>इंडियन एयर फोर्स ऐक्ट, 1932] (1932 का 14) के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या</p> <p style="padding-left: 40px;">(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए,</p> <p>की गई है।</p>	<p>एक आना।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिए बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है।</p> <p>पांच रुपए।</p> <p>दस रुपए।</p> <p>एक रुपया।</p>

<sup>1</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> अब देखिए सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46)।

<sup>3</sup> 1932 के अधिनियम सं० 14 की धारा 130 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>4</sup> अब देखिए वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45)।

<sup>3</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>(क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्ध नहीं है;</p> <p>(ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना ।</p> <p><b>9. शिक्षुता विलेख</b>, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापक से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है किन्तु जो शिक्षुता नियमावली (सं० 11) नहीं है ।</p> <p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p>शिक्षुता-लिखत, जो 'एग्रीमेंटसेज ऐक्ट, 1850 (1850 का 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है ।</p> <p><b>10. कंपनी के संगम-अनुच्छेद</b></p> <p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p>ऐसे संगम के अनुच्छेद जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया है और जो 'इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1882 (1882 का 6) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है । कंपनी का संगम ज्ञापन (सं० 39) भी देखिए ।</p> <p><b>11. क्लर्कों की नियमावली</b> या संविदा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति इस दृष्टि से कि वह उच्च न्यायालय में अटर्नी के रूप में दर्ज हो सके, क्लर्कों के रूप में सेवा करने के लिए आबद्ध होता है ।</p> <p><b>समनुदेशन</b>—यथास्थिति, हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23), अंतरण (सं० 62) और पट्टे का अंतरण (सं० 63) देखिए ।</p> <p><b>अटर्नी</b>—अटर्नी, (सं० 30) और मुख्तारनामा (सं० 48) वाली प्रविष्टि देखिए ।</p> <p><b>दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार</b>—दत्तक-विलेख (सं० 3) देखिए ।</p> <p><b>12. पंचाट</b>—अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखत विनिश्चय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है—</p> <p>(क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है, रकम या मूल्य, जो ऐसे पंचाट में उपवर्णित हो, 1,000 रुपए से अधिक नहीं है,</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में</p> <p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p><sup>3</sup>मुंबई डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल ऐक्ट, 1873 (मुंबई अधिनियम 1873 का 6) की धारा 81 या मुंबई हैरिडिटरी आफिसेज ऐक्ट, 1874 (मुंबई अधिनियम 1874 का 3) की धारा 18 के अधीन पंचाट ।</p> <p><b>13. [धारा 2(2) <sup>4</sup>*** द्वारा यथापरिभाषित]</b> किन्तु बंधपत्र, बैंक नोट या करेंसी नोट से भिन्न विनिमय-पत्र—</p>	<p>पांच रुपए ।</p> <p>पच्चीस रुपए ।</p> <p>दो सौ पचास रुपए ।</p> <p>वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है ।</p> <p>पांच रुपए ।</p>

<sup>1</sup> अब देखिए शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) ।

<sup>2</sup> अब देखिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) ।

<sup>3</sup> अब देखिए मुम्बई जिला नगर अधिनियम, 1901 (1901 का मुम्बई अधिनियम सं० 3) ।

<sup>4</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा "और (3)" शब्द, अंक और कोष्ठकों का लोप किया गया ।

(1)	(2)
1* * * *	1* * *
<p><sup>2</sup>[(ख) जहां कि वह मांग पर देय होने से अन्यथा देय है वहां—</p> <p>(i) जहां कि वह तारीख से या दर्शनोपरांत तीन मास से अधिक के पश्चात् देय नहीं है,—</p> <p>यदि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र की रकम 500 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>यदि वह 500 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक है प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए;</p> <p>(ii) जहां कि वह तारीख के या दर्शनोपरांत तीन मास से अधिक किन्तु छह मास से अधिक के पश्चात् देय नहीं है,—</p> <p>यदि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र की रकम 500 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>यदि वह 500 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक है प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए;</p> <p>(iii) जहां कि वह तारीख के या दर्शनोपरांत छह मास से अधिक किन्तु नौ मास से अधिक के पश्चात् देय नहीं है,—</p> <p>यदि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र की रकम 500 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>यदि वह 500 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए;</p> <p>(iv) जहां कि वह तारीख के या दर्शनोपरान्त नौ मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से अधिक के पश्चात् देय नहीं है,—</p> <p>यदि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र की रकम 500 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>यदि वह 500 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए;</p> <p>(ग) जहां कि वह तारीख के या दर्शनोपरांत एक वर्ष से अधिक के पश्चात् वाले समय पर संदेय है,—</p> <p>यदि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र की रकम 500 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>यदि वह 500 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए;</p>	<p>एक रुपए <sup>3</sup>[पचास नए पैसे] ।</p> <p>दो रुपए <sup>4</sup>[पचास नए पैसे] ।</p> <p>दो रुपए <sup>4</sup>[पचास नए पैसे] ।</p> <p>दो रुपए <sup>4</sup>[पचास नए पैसे] ।</p> <p>पांच रुपए ।</p> <p>पांच रुपए ।</p> <p>तीन रुपए <sup>5</sup>[पचहत्तर नए पैसे] ।</p> <p>सात रुपए <sup>4</sup>[पचास नए पैसे] ।</p> <p>सात रुपए <sup>4</sup>[पचास नए पैसे] ।</p> <p>पांच रुपए ।</p> <p>दस रुपए ।</p> <p>दस रुपए ।</p> <p>दस रुपए ।</p> <p>बीस रुपए ।</p> <p>बीस रुपए ।</p> <p>बीस रुपए ।</p>

<sup>1</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा प्रविष्ट (क) का दूसरे स्तंभ में प्रविष्टि “एक आना” का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> 1956 के अधिनियम सं० 76 की धारा 4 और अनुसूची 2 द्वारा (1-2-1957 से) पूर्ववर्ती मद (ख) और (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “चार आने” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “आठ आने” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “बारह आने” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1)	(2)
<p><b>14. वहन-पत्र</b> (जिसके अन्तर्गत पारगामी वहन-पत्र आता है)</p> <p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>(क) वहन-पत्र जबकि उसमें वर्णित माल, <sup>2</sup>इंडियन पो<b>VZ~I</b> ऐक्ट, 1889 (1889 का 10) के अधीन यथापरिभाषित किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर प्राप्त किया जाता है और उसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी अन्य स्थान पर परिदत्त किया जाना है;</p> <p>(ख) वहन-पत्र जब कि वह <sup>3</sup>[भारत] के बाहर निष्पादित किया गया है और <sup>3</sup>[भारत] में परिदत्त की जाने वाली संपत्ति से संबंधित है।</p> <p><b>15. बन्धपत्र</b> [जैसा कि धारा 2(5) द्वारा परिभाषित किया गया है] किन्तु जो डिबेंचर (सं० 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया है—</p> <p>जहां कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 10 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 10 रुपए से अधिक है और 50 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 50 रुपए से अधिक है और 100 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 100 रुपए से अधिक है और 200 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 200 रुपए से अधिक है और 300 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 300 रुपए से अधिक है और 400 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 400 रुपए से अधिक है और 500 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 500 रुपए से अधिक है और 600 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 600 रुपए से अधिक है और 700 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 700 रुपए से अधिक है और 800 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 800 रुपए से अधिक है और 900 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 900 रुपए से अधिक है और 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक 500 रुपए या उसके भाग के लिए</p> <p>प्रशासन-बंधपत्र (सं० 2), पोत बंधपत्र (सं० 16), सीमाशुल्क बंधपत्र (सं० 26), क्षतिपूर्ति बंधपत्र (सं० 34), जहाजी माल बंधपत्र (सं० 56), प्रतिभूति बंधपत्र (सं० 57) देखिए।</p> <p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>बन्धपत्र जबकि वह निम्नलिखित द्वारा निष्पादित किया जाए—</p> <p>(क) बंगाल इरिगेशन ऐक्ट, 1876 (बंगाल ऐक्ट, 1876 का 3) की धारा 99 के अनुसार, विरचित नियमों के अधीन, उस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए नामनिर्दिष्ट मुखियाओं द्वारा;</p>	<p><sup>1</sup>[एक रुपया]।</p> <p><b>टिप्पण</b>—यदि वहन-पत्र भागों में लिखा गया है, तो उसके लिए उचित स्टाम्प हर एक संवर्ग पर लगा हुआ होना चाहिए।</p> <p>दो आना।</p> <p>चार आना।</p> <p>आठ आना।</p> <p>एक रुपया।</p> <p>एक रुपया आठ आना।</p> <p>दो रुपए।</p> <p>दो रुपए आठ आना।</p> <p>तीन रुपए।</p> <p>तीन रुपए आठ आना।</p> <p>चार रुपए।</p> <p>चार रुपए आठ आना।</p> <p>पांच रुपए।</p> <p>दो रुपए आठ आना।</p>

<sup>1</sup> 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा (1-7-1985 से) “पन्चीस नए पैसे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> देखिए भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15)।

<sup>3</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (1-4-1956 से) “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p>(ख) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय आय प्रति मास किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।</p> <p>16. <b>पोत-बन्धपत्र</b>—अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।</p> <p>17. <b>रद्द कर देने की लिखत</b>, (जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्द कर दी गई है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। निर्मुक्ति (सं० 55), व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण (सं० 58ख), पट्टे का अभ्यर्पण (सं० 61), न्यास का प्रतिसंहरण (सं० 64ख) भी देखिए।</p> <p>18. (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) <b>विक्रय-प्रमाणपत्र</b> जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है—</p> <p>(क) जहां कि क्रय-धन 10 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>(ख) जहां कि क्रय-धन 10 रुपए से अधिक है, किन्तु 25 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>(ग) किसी अन्य मामले में</p> <p>19. <b>प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज</b> <sup>1</sup>[(अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आने वाले प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज के सिवाय)], जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टाक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टाक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है।</p>	<p>वही शुल्क जो उतनी रकम के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है।</p> <p>पांच रुपए।</p> <p>दो आना।</p> <p>चार आना।</p> <p>वही शुल्क जो केवल क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण (सं० 23) लेखे लगता है।</p> <p><sup>2</sup>[दो आना]।</p>
<p>3* * * * *</p> <p>20. <b>भाड़े पर पोत लेने की संविदा</b>, अर्थात् (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।</p> <p>4* * * * *</p>	<p>एक रुपया।</p> <p>* * * *</p>
<p>22. <b>प्रशमन विलेख</b>, अर्थात्, किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है।</p> <p>23. <b>हस्तान्तरण-पत्र</b> [धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित] जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है,—</p>	

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1923 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा “शेयरों का आबंटन पत्र (सं० 36) भी देखिए” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> 1927 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अनुच्छेद 21 का लोप किया गया।

(1)	(2)																																				
<p>जहां कि ऐसे हस्तान्तरण के लिए प्रतिफल की रकम या मूल्य, जैसा हस्तांतरण-पत्र में उपवर्णित है, 50 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>जहां कि वह 50 रुपए से अधिक है, किन्तु 100 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <table><tr><td>यथोक्त</td><td>100</td><td>यथोक्त</td><td>200</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>200</td><td>यथोक्त</td><td>300</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>300</td><td>यथोक्त</td><td>400</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>400</td><td>यथोक्त</td><td>500</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>500</td><td>यथोक्त</td><td>600</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>600</td><td>यथोक्त</td><td>700</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>700</td><td>यथोक्त</td><td>800</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>800</td><td>यथोक्त</td><td>900</td></tr><tr><td>यथोक्त</td><td>900</td><td>यथोक्त</td><td>1000</td></tr></table> <p>और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक पांच सौ रुपए या उसके भाग के लिए;</p>	यथोक्त	100	यथोक्त	200	यथोक्त	200	यथोक्त	300	यथोक्त	300	यथोक्त	400	यथोक्त	400	यथोक्त	500	यथोक्त	500	यथोक्त	600	यथोक्त	600	यथोक्त	700	यथोक्त	700	यथोक्त	800	यथोक्त	800	यथोक्त	900	यथोक्त	900	यथोक्त	1000	<p>आठ आना ।</p> <p>एक रुपया ।</p> <p>दो रुपए ।</p> <p>तीन रुपए ।</p> <p>चार रुपए ।</p> <p>पांच रुपए ।</p> <p>छह रुपए ।</p> <p>सात रुपए ।</p> <p>आठ रुपए ।</p> <p>नौ रुपए ।</p> <p>दस रुपए</p> <p>पांच रुपए</p>
यथोक्त	100	यथोक्त	200																																		
यथोक्त	200	यथोक्त	300																																		
यथोक्त	300	यथोक्त	400																																		
यथोक्त	400	यथोक्त	500																																		
यथोक्त	500	यथोक्त	600																																		
यथोक्त	600	यथोक्त	700																																		
यथोक्त	700	यथोक्त	800																																		
यथोक्त	800	यथोक्त	900																																		
यथोक्त	900	यथोक्त	1000																																		
<p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p><sup>1</sup>[(क)] 2इंडियन कापीराइट ऐक्ट, 1874 (1874 का 20) की धारा 5 के अधीन की गई प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्यधिकार का समुद्देशन ।</p> <p><sup>3</sup>[(ख) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद (सं० 23क) के अधीन आने वाले दस्तावेज की बाबत संदत्त शुल्क का भाग, इस अनुच्छेद के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र में संव्यवहार के पूरा होने से संबंधित तत्संबंधी दस्तावेज की बाबत संदेय शुल्क की संगणना करते समय, अपवर्जित किया जाएगा ।]</p> <p><b>सह-भागीदारी-विलेख, भागीदारी (सं० 46) देखिए ।</b></p> <p><sup>3</sup><b>23क. भागिक पालन की प्रकृति के हस्तांतरण-पत्र:</b> संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र में भागिक पालन की प्रकृति की स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए संविदाएं ।</p> <p>24. <b>प्रति या उद्धरण,</b> जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है—</p> <p>(i) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, एक रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ii) किसी अन्य मामले में</p> <p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे ;</p> <p><sup>4</sup>[(ख) जन्मों, वपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, <sup>1</sup>[विवाह-विच्छेदों], मृत्युओं या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें से किसी उद्धरण की, प्रतिलिपि ।]</p>	<p>उस शुल्क का नब्बे प्रतिशत जो हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है ।]</p> <p>आठ आना ।</p> <p>एक रुपया ।</p>																																				

<sup>1</sup> 2001 के अधिनियम सं० 48 की धारा 11 द्वारा संख्यांकित तथा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> देखिए भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) ।

<sup>3</sup> 2001 के अधिनियम सं० 48 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।



(1)	(2)
<p>25. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति,—</p> <p>(क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखत पर प्रभार्य है, एक रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में</p> <p style="text-align: center;">छूट</p> <p>कृषकों को किए गए किसी पट्टे का प्रतिलेख, जब कि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो ।</p>	<p>वही शुल्क जो मूल पर देय है ।</p> <p>एक रुपया ।</p>
<p>26. सीमाशुल्क बंध-पत्र—</p> <p>(क) जहां कि रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में :</p> <p>27. डिबेंचर — [धारा 2 (10क) द्वारा यथा परिभाषित]</p> <p>(धारा 9क और धारा 9ख देखिए)</p> <p>(क) डिबेंचर के निर्गम की दशा में;</p> <p>(ख) डिबेंचर के अंतरण और पुनः निर्गम की दशा में</p> <p><b>स्पष्टीकरण</b>—“डिबेंचर” पद के अन्तर्गत उससे संलग्न कोई व्याज के कूपन हैं किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के प्राक्कलन करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।</p> <p style="text-align: center;">छूट</p> <p>ऐसा डिबेंचर जिसे किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसे रजिस्ट्रीकृत बंधक-विलेख के निबंधनानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं पूरी रकम की बाबत सम्यक् रूप से स्टाम्पित हैं, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी या निकाय, अपनी संपत्ति, पूर्णतः या भागतः डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है :</p> <p>परन्तु यह तब जब कि इस प्रकार निर्गमित डिबेंचरों की बाबत यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वे उक्त बन्धक-विलेख के निबंधनानुसार निर्गमित किए गए हैं ।]</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसी रकम के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है ।</p> <p>पांच रुपए ।</p> <p>0.005%</p> <p>0.00017%</p>
<p><b>किसी न्यास की घोषणा</b>—न्यास (सं० 64) देखिए ।</p> <p>28. <b>माल की बाबत परिदान-आदेश</b>, <sup>3</sup>[ (स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के संव्यवहार व्यवस्थापन के संबंध में परिदान आदेश को छोड़कर) अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशियों या लिखत के धारक को, किसी डॉक या पत्तन पर या ऐसे किसी भाण्डागार में, जहां माल भाटक या भाड़े पर या घाट पर संगृहीत या निक्षिप्त किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिए हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अन्तरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य बीस रुपए से अधिक हो ।</p> <p><b>हक-विलेखों का निक्षेप</b>—<sup>4</sup>[हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी से संबंधित करार (सं० 6) देखिए ।]</p>	<p>एक आना</p>

<sup>1</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>4</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा “देखिए साम्यापूर्ण बन्धक द्वारा करार (सं० 6)” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1)	(2)
<p><b>भागीदारी का विघटन</b>—भागीदारी (सं० 48) देखिए।</p> <p>29. <b>विवाह-विच्छेद</b>—की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है।</p> <p><b>महर की लिखत</b>—देखिए व्यवस्थापन (सं० 58)</p> <p><b>दूसरी प्रति</b>—देखिए व्यवस्थापन (सं० 25)</p> <p>30. <sup>1</sup>[इंडियन बार काउंसिल्स ऐक्ट, 1926 (1926 का 38) के अधीन या] लेटर्स पेटेंट द्वारा या <sup>2</sup>विधि व्यवसायी अधिनियम, 1884 (1884 का 9) द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटर्नी के रूप में प्रविष्टि</p> <p>(क) अधिवक्ता या वकील के मामले में</p> <p>(ख) अटर्नी के मामले में।</p>	<p>एक रुपया।</p> <p>पांच सौ रुपए।</p> <p>दो सौ रुपए।</p>
<p style="text-align: center;">छूट</p> <p>किसी उच्च न्यायालय की नामवाली में किसी अधिवक्ता, वकील या अटर्नी की प्रविष्टि जब कि वह पहले से ही किसी उच्च न्यायालय में अभ्याविष्ट है।</p> <p style="text-align: center;">3*                      *                      *                      *                      *</p> <p>31. <b>सम्पत्ति के विनियम की लिखत</b>—</p>	<p>वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर जो ऐसी लिखत में उपवर्णित है, लगता है।</p>
<p><b>उदाहरण</b>—देखिए प्रतिलिपि (सं० 24)</p> <p>32. <b>अतिरिक्त भार की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बन्धक सम्पत्ति पर भार अधिरोपित करती है—</b></p> <p>(क) जब कि मूल बन्धक अनुच्छेद सं० 40 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जे सहित);</p> <p>(ख) जब कि ऐसा बन्धक अनुच्छेद सं० 40 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए विवरणों में से किसी एक प्रकार विवरण का है (अर्थात् कब्जे सहित);</p> <p>(i) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है;</p> <p>(ii) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया हो।</p> <p>33. <b>दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (सं० 58) या विल या अंतरण (सं० 62) नहीं है।</b></p> <p><b>भाड़ा संबंधी करार या सेवा के लिए करार। देखिए करार (सं० 5)।</b></p>	<p>वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए और भार की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो भार की, (जिसके अंतर्गत मूल बन्धक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क, जो ऐसे मूल बन्धक और अतिरिक्त भार पर चुकाया गया है कम कर दिया जाएगा।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए अतिरिक्त भार की रकम के लिए बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो संपत्ति के मूल्य के, जो ऐसी लिखत में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p>

<sup>1</sup> 1926 के अधिनियम सं० 38 की धारा 19 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>2</sup> अब निरसित।

<sup>3</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा "साम्यापूर्ण बन्धक" से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया गया।

(1)	(2)
<p>34. क्षतिपूर्ति-बन्धनपत्र</p> <p>निरीक्षकत्व-विलेख—प्रशमन-विलेख (सं० 22) देखिए।</p> <p>बीमा—बीमा पालिसी (सं० 47) देखिए।</p> <p>35. पट्टा, जिसके अन्तर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार है—</p> <p>(क) जहां कि ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और कोई प्रीमियम दिया नहीं गया है या परिदत्त नहीं किया गया है—</p> <p>(i) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है ;</p> <p>(ii) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं है ;</p> <p>(iii) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो तीन वर्ष से अधिक है ;</p> <p>(iv) जहां कि पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है ;</p> <p>(v) जहां कि पट्टा शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है ;</p> <p>(ख) जहां कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है ;</p> <p>(ग) जहां कि पट्टा आरक्षित किए गए भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है।</p>	<p>वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति-पत्र (सं० 57) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसे बंधपत्र (सं० 15) पर, ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के लिए लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के बन्धपत्र (सं० 15) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक भाटक की, जो प्रथम दस वर्ष के लिए उस दशा में दिया जाएगा या परिदत्त किया जाएगा जिसमें कि पट्टा उस अवधि तक चालू रहता है, रकम या मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसे भाटक की, जो पट्टे के प्रथम पचास वर्ष की बाबत दिया जाएगा या परिदत्त किया जाएगा, पूरी रकम के पांचवें भाग के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है, और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता :</p> <p>परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क आठ आने से अधिक नहीं होगा।</p>



(1)	(2)
<p><b>स्पष्टीकरण</b>—ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा-राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है।</p> <p>(ग) जब कि कोई सांपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टाम्पित है—</p> <p>ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1,000 रुपए से अधिक नहीं है;</p> <p>और 1,000 रुपए से अधिक ऐसे प्रत्येक 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो।</p>	<p>आठ आना।</p> <p>आठ आना।</p>
<p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>(1) वे लिखतें, जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, 1883 (1883 का 19) या एग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई हैं।</p> <p>(2) आडमान-पत्र जो विनिमय-पत्र से संलग्न है।</p> <p style="text-align: center;">1*                      *                      *                      *</p>	
<p>41. फसल का बन्धक जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत है जो फसल के बन्धक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बन्धक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो—</p> <p>(क) जबकि ऐसा उधार, ऐसे समय पर चुकाया जाना हो जो ऐसी लिखत की तारीख के तीन मास से अधिक बाद का नहीं है—</p> <p>ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 200 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>और 200 रुपए से अधिक ऐसे प्रत्येक 200 रुपए या उसके ऐसे भाग के लिए जो प्रतिभूत है,</p> <p>(ख) जबकि ऐसा उधार, ऐसे समय पर चुकाया जाना हो, जो ऐसी लिखत की तारीख के तीन मास से अधिक का है किन्तु 2[अठारह मास] से अधिक का नहीं है—</p> <p>ऐसा प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 100 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>और 100 रुपए से अधिक ऐसे प्रत्येक 100 रुपए या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत है।</p>	<p>एक आना।</p> <p>एक आना।</p> <p><sup>3</sup>[दो आना।]</p> <p><sup>3</sup>[दो आना।]</p>
<p>42. <b>नोटरी सम्बन्धी कार्य</b>, अर्थात्, कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं० 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है।</p>	<p>एक रुपया।</p>

<sup>1</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा छूट (3) को लोप किया गया।

<sup>2</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा “एक वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा “चार आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p>विपत्र या वचन-पत्र का प्रसाक्ष्य (सं० 50) भी देखिए।</p> <p><sup>1</sup>[43] <b>टिप्पण या ज्ञापन</b>, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है—</p> <p>(क) ऐसे किसी माल का, जो बीस रुपए से अधिक मूल्य का है ;</p> <p>(ख) ऐसे किसी स्टॉक या विपण्य प्रतिभूति का, जो बीस रुपए से अधिक मूल्य का है।</p>	<p>दो आना।</p> <p>स्टॉक या प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रुपए या उसके भाग के लिए एक आना जो किसी भी दशा में कुल दस रुपए से अधिक नहीं होगा।]</p> <p>आठ आना।</p>
<p>44. <b>पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण</b>—पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति देखिए (सं० 51)।</p> <p><b>धनराशि के दिए जाने के लिए आदेश।</b></p> <p>देखिए विनियम-पत्र (सं० 13)।</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के पृथक् किए गए अंश या अंशों के मूल्य की रकम के बन्धपत्र (सं० 15) पर लगता है।</p>
<p>45. <b>विभाजन की लिखत</b>—[धारा 2 (15) द्वारा यथापरिभाषित]</p>	<p><b>विशेष टिप्पण</b>—सम्पत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश हैं जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं हैं तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जाएगा जिससे अन्य अंश पृथक् कर दिए गए हैं :</p> <p>परन्तु सदैव यह कि—</p> <p>(क) जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपत्ति को पृथक्-पृथक् विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाए गए शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह आठ आने से कम नहीं होगा ;</p> <p>(ख) जहां कि भूमि, राजस्व बंदोबस्त पर ऐसी कालावधि के लिए जो तीस वर्ष से अधिक नहीं है, धारित है और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के पांच गुने से अधिक परिकलित नहीं किया जाएगा ;</p> <p>(ग) जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निदेश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट से अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क आठ आने से अधिक नहीं होगा।</p>

<sup>1</sup> 1910 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा मूल अनुच्छेद 43 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p>46. <b>भागीदारी—</b></p> <p>क. भागीदारी की लिखत—</p> <p>(क) जहां कि भागीदारी की पूंजी 500 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में—</p> <p>ख. भागीदारी का विघटन—</p> <p><sup>1</sup>[पणयम् या गिरवी—हक विलेखों के निक्षेप, पणयम् या गिरवी से संबंधित करार (सं० 6) देखिए ।]</p>	<p>दो रुपए आठ आने ।</p> <p>दस रुपए ।</p> <p>पांच रुपए ।</p>
<p>47. <b>बीमा पालिसी—</b></p> <p><sup>2</sup>[क. सामुद्रिक बीमा (धारा 7 देखिए)—</p>	<p>यदि एक प्रति में लिखी गई हो</p> <p>यदि दो प्रतियों में लिखी गई हो तो प्रत्येक भाग के लिए</p>
<p>(1) जो किसी समुद्र यात्रा के लिए या उस पर है—</p> <p>(i) जहां कि प्रीमियम या प्रतिफल पालिसी द्वारा बीमा की गई रकम के प्रतिशत के आठवें भाग <sup>3****</sup> की दर से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ii) किसी अन्य मामलों में, पालिसी द्वारा बीमाकृत प्रत्येक <sup>6</sup>[एक हजार पांच सौ रुपए] की पूरी राशि और <sup>6</sup>[एक हजार पांच सौ रुपए] के किसी खण्डात्मक भाग की बाबत ;</p> <p>(2) जो नियत समय के लिए है—</p> <p>(iii) पालिसी द्वारा बीमाकृत प्रत्येक एक हजार रुपए की पूरी राशि और एक हजार रुपए के किसी खण्डात्मक भाग की बाबत वहां—</p> <p>जहां कि बीमा छह मास से अनधिक किसी समय के लिए किया हुआ है ;</p> <p>जहां कि बीमा छह मास से अधिक और बारह मास से अनधिक किसी समय के लिए किया गया है ;</p> <p>ख. <sup>10</sup>[अग्नि बीमा और अन्य वर्ग के बीमे जो इस अनुच्छेद में अन्यत्र सम्मिलित नहीं किए गए हैं, जिसके अंतर्गत माल, वाणिज्या, वैयक्तिक चीज-बस्त, फसलों तथा अन्य सम्पत्ति के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने के विरुद्ध बीमा आता है]—</p> <p>(1) किसी मूल पालिसी के बारे में—</p> <p>(i) जब कि बीमाकृत राशि 5,000 रुपए से अधिक नहीं है ;</p>	<p><sup>4</sup>[दस नए पैसे]      <sup>5</sup>[पांच नए पैसे ।]</p> <p><sup>7</sup>[दस नए पैसे]      <sup>5</sup>[पांच नए पैसे ।]</p> <p><sup>8</sup>[पन्द्रह नए पैसे]      <sup>7</sup>[दस नए पैसे]</p> <p><sup>9</sup>[पच्चीस नए पैसे]      <sup>8</sup>[पन्द्रह नए पैसे]</p> <p><sup>11</sup>[पचास नए पैसे ।]</p>

<sup>1</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>2</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा मूल खण्ड क और ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1961 के अधिनियम सं० 14 की धारा 16 द्वारा “पन्द्रह नए पैसे या” शब्दों का लोप किया गया ।

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “आधा आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “एक हजार रुपए” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा “दो आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>9</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “चार आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>10</sup> 1923 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा “अग्नि बीमा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>11</sup> 1928 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “आठ आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1)	(2)								
<p>(ii) किसी अन्य मामले में ; और</p> <p>(2) किसी मूल पालिसी के किसी नवीकरण पर प्रीमियम के किसी संदाय के लिए प्रत्येक रसीद की बाबत ।</p> <p>ग. दुर्घटना और बीमारी बीमा—</p> <p>(क) जो रेल दुर्घटना के लिए है, और केवल एक तरफ की यात्रा के लिए विधिमान्य है</p> <p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p>जब कि वह किसी रेल में मध्यवर्ती या तृतीय वर्ग द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को जारी किया गया है ;</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में—अधिकतम रकम के लिए, जो किसी एकल दुर्घटना या बीमारी के मामले में देय हो जाए वहां, जहां कि ऐसी रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है, और वहां भी जहां कि ऐसी रकम 1,000 रुपए से अधिक है, प्रत्येक 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए</p> <p><sup>5</sup>[गग. बीमाकर्ता द्वारा या उसके अधीन नियोजित कर्मकारों को दुर्घटनाओं के कारण नुकसानी लेखे अदायगी करने के दायित्व की या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन प्रतिकर देने के दायित्व की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा के प्रीमियम के रूप में देय प्रत्येक 100 रुपए या उसके भाग के लिए,</p> <p><sup>7</sup>[घ. इस अनुच्छेद के खंड ड में यथावर्णित पुनः बीमे के सिवाय, जीवन बीमा <sup>8</sup>[या सामूहिक बीमा या अन्य बीमा] जिसके लिए विशेष रूप से उपबन्ध नहीं है—]</p> <p>(i) 250 रुपए से अनधिक प्रत्येक बीमाकृत राशि के लिए ;</p> <p>(ii) 250 रुपए से अधिक किन्तु 500 रुपए से अनधिक प्रत्येक बीमाकृत राशि के लिए ;</p> <p>(iii) 500 रुपए से अधिक किन्तु 1,000 रुपए से अनधिक और 1,000 रुपए से अधिक प्रत्येक 1,000 रुपए या उसके भाग की प्रत्येक बीमाकृत राशि के लिए ;</p>	<p>एक रुपया ।</p> <p>सं० 53 के अधीन प्रभार्य रकम के अतिरिक्त, मूल पालिसी की बाबत संदेय शुल्क का आधा ।</p> <p><sup>1</sup>[दस नए पैसे ।]</p> <p><sup>2</sup>[पन्द्रह नए पैसे ।]</p> <p><sup>3</sup>[परन्तु दुर्घटना द्वारा मृत्यु की, बीमा पालिसी के मामले में, जबकि वार्षिक देय प्रीमियम प्रति 1,000 रुपए पर <sup>4</sup>[2 रुपए 50 पैसे] से अधिक नहीं है तब ऐसी लिखत पर शुल्क उसके अधीन देय हो सकने वाली अधिकतम रकम से प्रत्येक 1,000 रुपए या उसके भाग के लिए <sup>1</sup>[दस नए पैसे] होगा ।]</p> <p><sup>6</sup>[दस नए पैसे ।]</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">यदि एक प्रति में लिखा गया है</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">यदि दो प्रतियों में लिखा गया है तो प्रत्येक भाग के लिए</td></tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><sup>9</sup>[पन्द्रह नए पैसे ।]</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><sup>6</sup>[दस नए पैसे ।]</td></tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><sup>10</sup>[पच्चीस नए पैसे ।]</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><sup>9</sup>[पन्द्रह नए पैसे ।]</td></tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><sup>11</sup>[चालीस नए पैसे ।]</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><sup>12</sup>[बीस नए पैसे ।]</td></tr> </table>	यदि एक प्रति में लिखा गया है	यदि दो प्रतियों में लिखा गया है तो प्रत्येक भाग के लिए	<sup>9</sup> [पन्द्रह नए पैसे ।]	<sup>6</sup> [दस नए पैसे ।]	<sup>10</sup> [पच्चीस नए पैसे ।]	<sup>9</sup> [पन्द्रह नए पैसे ।]	<sup>11</sup> [चालीस नए पैसे ।]	<sup>12</sup> [बीस नए पैसे ।]
यदि एक प्रति में लिखा गया है	यदि दो प्रतियों में लिखा गया है तो प्रत्येक भाग के लिए								
<sup>9</sup> [पन्द्रह नए पैसे ।]	<sup>6</sup> [दस नए पैसे ।]								
<sup>10</sup> [पच्चीस नए पैसे ।]	<sup>9</sup> [पन्द्रह नए पैसे ।]								
<sup>11</sup> [चालीस नए पैसे ।]	<sup>12</sup> [बीस नए पैसे ।]								

<sup>1</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा “दो आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “दो रुपए आठ आने” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> 1925 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>6</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल खण्ड घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 द्वारा (1-4-1956 से) “या अन्य बीमा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>9</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “दो आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>10</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “चार आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>11</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “छह आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>12</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “तीन आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।



(1)	(2)
<p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p>डाक विभाग महानिदेशालय द्वारा मंजूर की गई जीवन बीमा की पालिसियां जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन डाक जीवन बीमा के नियमों के अनुसार निगमित की गई हैं।]</p> <p>ड. <b>पुनःबीमा किसी बीमा कम्पनी द्वारा</b>, जिसने <sup>2</sup>[इस अनुच्छेद के खंड क या खंड ख में विनिर्दिष्ट प्रकृति की] पालिसी मंजूर की है, अन्य कम्पनी से उसके द्वारा मूल बीमा द्वारा बीमाकृत राशि के किसी भाग की अदायगी की क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति के रूप में।</p> <p style="text-align: center;"><b>साधारण छूट</b></p> <p>जोखिम दायित्व पत्र या बीमा पालिसी देने का वचनबन्ध :</p> <p>परन्तु, जब तक कि ऐसे पत्र या वचनबन्ध पर, ऐसी पालिसी लेखे इस अधिनियम द्वारा विहित स्टाम्प न लगा हो, उसके अधीन कुछ भी</p> <p>दावा न किया जा सकेगा और न वह उसमें वर्णित पालिसी के परिदान के लिए विवश करने के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जा सकेगा।</p> <p>48. धारा 2(21) में यथापरिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी (सं० 52) नहीं है—</p> <p>(क) जब कि वह ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है ;</p> <p>(ख) जब कि वह एक प्रेसिडेंसी लघुवाद-न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) के अधीन वादों या कार्यवाहियों में अपेक्षित है ;</p> <p>(ग) जब कि वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खंड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ;</p> <p>(घ) जब कि वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः और पृथक् एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ;</p> <p>(ङ) जब कि वह पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथक्तः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए करता है ;</p>	<p><sup>1</sup>[भली भांति ध्यान दें—यदि सामूहिक बीमा की पालिसी नवीकृत की गई है या अन्य प्रकार से उपान्तरित की गई है जिसके द्वारा बीमाकृत राशि पहली बीमाकृत राशि से जिस पर स्टाम्प शुल्क दे दिया गया है, अधिक है, तो इस प्रकार बीमाकृत अधिक राशि पर उचित स्टाम्प लगाना पड़ेगा।]</p> <p>मूल बीमा की बाबत देय शुल्क की एक चौथाई, किन्तु जो <sup>3</sup>[दस नए पैसे] से कम नहीं या एक रुपए से अधिक न होगी :</p> <p><sup>4</sup>[परन्तु यदि कुल संदेय शुल्क की रकम पांच नए पैसे का गुणित न हो तो कुल रकम को पांच नए पैसे के अगले उच्चतर गुणित के बराबर कर दिया जाएगा।]</p> <p>आठ आना।</p> <p>आठ आना।</p> <p>एक रुपया।</p> <p>पांच रुपए।</p> <p>दस रुपए।</p>

<sup>1</sup> 1955 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 द्वारा (1-4-1956 से) अन्तःस्थापित।

<sup>2</sup> 1923 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा “अग्नि बीमा की पालिसी या समुद्री बीमा की” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1961 के अधिनियम सं० 14 की धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित।

(1)	(2)
<p>(च) जब कि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है ;</p> <p>(छ) अन्य किसी मामले में</p> <p><b>स्पष्टीकरण</b>—एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे एक ही व्यक्ति हैं।</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता हो।</p> <p>प्राधिकृत किए गए प्रति व्यक्ति के लिए एक रुपया। <b>भली-भांति ध्यान दें</b>— “रजिस्ट्रीकरण” पद के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1877 (1877 का 3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है।</p>
<p><sup>2</sup>[49. धारा 2 (22) द्वारा यथापरिभाषित</p> <p><b>वचन-पत्र</b>—</p> <p>(क) जब कि वह मांग पर देय है—</p> <p>जब कि उसकी रकम या मूल्य 250 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(i)</p> <p>(ii) जब कि उसकी रकम या मूल्य 250 रुपए से अधिक है किन्तु 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(iii) अन्य मामले में ;</p> <p>(ख) जब कि वह मांग पर देय से अन्यथा देय है।</p>	<p><sup>3</sup>[दस नए पैसे।]</p> <p><sup>4</sup>[पन्द्रह नए पैसे।]</p> <p><sup>5</sup>[पच्चीस नए पैसे।]</p> <p>वही शुल्क जो विनिमय-पत्र (सं० 13) जो मांग पर देय से अन्यथा देय है।]</p>
<p><b>50. विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक प्रसाक्ष्य</b> अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा; जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है।</p>	<p>एक रुपया।</p>
<p><b>51. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति</b> अर्थात्, पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणापत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिए उस द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है ;</p> <p>पोत के मास्टर द्वारा प्रसाक्ष्य का टिप्पण (सं० 44) भी देखिए।</p>	<p>एक रुपया।</p>
<p><b>52. परोक्षी</b>, जो किसी व्यक्ति को जिला या स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के या नगरपालिका आयुक्तों के निकाय के सदस्यों के किसी एक निर्वाचन में, अथवा जो—</p> <p>(क) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगम निकाय के, जिसको स्टॉक या निधियां, शेयरों में विभाजित और अंतरणीय हैं, सदस्यों के ;</p>	<p><sup>6</sup>[तीस पैसे।]</p>

<sup>1</sup> देखिए भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)।

<sup>2</sup> 1923 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “एक आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “दो आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1958 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-10-1958 से) “चार आना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 99 द्वारा (13-6-1994 से) “बीस पैसे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p>(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के ; या</p> <p>(ग) किसी संस्था के स्वत्वधारियों, सदस्यों या उसकी निधियों में अभिदाय करने वाले अभिदायियों के ; किसी अधिवेशन में मत डालने के लिए शक्ति प्रदान करता है ।</p> <p>53. रसीद जो धारा 2 (23) द्वारा परिभाषित रसीद है और जो किसी धनराशि या अन्य सम्पत्ति के लिए है, जिसकी रकम या मूल्य <sup>1</sup>[पांच हजार रुपए] से अधिक है ।</p>	<p><sup>2</sup>[एक रुपया ।]</p>
<p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>रसीद जो—</p> <p>(क) सम्यक् रूप से स्टाम्पित किसी लिखत या धारा 3 के परन्तुक के अधीन <sup>3</sup>[छूट प्राप्त किसी लिखत] (अर्थात् सरकार की ओर से निष्पादित लिखत) <sup>4</sup>[या मांग पर देय किसी चेक या विनिमय-पत्र पर] पृष्ठांकित या उसमें अन्तर्विष्ट है और उसमें प्रतिफल के रूप में अभिव्यक्त की गई धनराशि की प्राप्ति की अभिस्वीकृति करती है या उसके द्वारा प्रतिभूत किसी मूलधन, व्याज या वार्षिकी या अन्य का कालिक संदाय के लिए है ;</p> <p>(ख) प्रतिफल के बिना किए गए किसी धनराशि के संदाय के लिए है ;</p> <p>(ग) उस भूमि लेखे, जिस पर सरकारी राजस्व निर्धारित है, या <sup>5</sup>[तमिलनाडु, बम्बई और आन्ध्र राज्यों में की,] <sup>6</sup>[जैसे वे 1956 के प्रथम नवम्बर के ठीक पूर्व अस्तित्व में थे,] इनाम भूमियों लेखे भाटक की काश्तकार द्वारा की गई अदायगी के लिए है, या</p> <p>(घ) वेतन या भत्तों के लिए, <sup>7</sup>[<sup>8</sup>भारतीय] थल, <sup>9</sup>[जल] या वायु सेना के अनायुक्त <sup>9</sup>[या पैटी] आफिसरों, <sup>10</sup>[सैनिकों, <sup>9</sup>[नाविकों] या वायु सैनिकों] के उस समय जब वे ऐसी हैसियत में सेवा कर रहे हों, या अश्वारोही पुलिस कांस्टेबलों द्वारा ;</p> <p>(ङ) कौटुम्बिक प्रमाणपत्रों के धारकों द्वारा दी गई, उन दशाओं में, जिनमें कि वह व्यक्ति जिसके वेतन या भत्तों में से रसीद में समाविष्ट राशि समनुदिष्ट की गई है, <sup>11</sup>[उक्त बलों में से किसी] का अनायुक्त <sup>9</sup>[या पैटी] आफिसर, <sup>10</sup>[सैनिक, <sup>12</sup>[नाविक] या वायुसैनिक] और उस हैसियत से कार्य कर रहा है ;</p> <p>(च) ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपनी पेंशनों या भत्तों के लिए दी गई है जो अनायुक्त <sup>9</sup>[या पैटी] आफिसरों <sup>10</sup>[सैनिक, <sup>9</sup>[नाविकों,] या वायु-सैनिकों] की उस हैसियत में अपनी सेवा की बाबत पेंशन और भत्ते पा रहे हैं और किसी अन्य हैसियत में सरकार की सेवा नहीं कर रहे हैं ;</p>	

<sup>1</sup> 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 99 द्वारा (13-6-1994 से) “बीस पैसे” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “था छूट प्राप्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>5</sup> आन्ध्र (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1954 द्वारा (1-10-1953 से) “फोर्ट सेन्ट जार्ज एण्ड मुम्बई की प्रेसिडेंसी में की” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>7</sup> 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “हर मेजेस्टी की सेना या हर मेजेस्टी की भारतीय सेना” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हिज मेजेस्टी की” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>9</sup> 1934 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>10</sup> 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “था सैनिकों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>11</sup> 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “उपरोक्त सेनाओं में से किसी एक” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>12</sup> 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “था सैनिक” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1)	(2)
<p>(छ) मुखिया या लम्बरदार द्वारा दी गई उनके संगृहीत भू-राजस्व या करों के लिए;</p> <p>(ज) ऐसी धनराशि या धनराशि की प्रतिभूतियों लेखे दी गई जो किसी बैंककार के यहां निक्षिप्त की गई है, और जिसका लेखा-जोखा उसे देना है :</p> <p>परन्तु यह तब जब कि उसकी बाबत यह अभिव्यक्त नहीं है कि जिस व्यक्ति को उसको लेखा-जोखा दिया जाना है, उससे भिन्न व्यक्ति से प्राप्त की गई है या हस्ताक्षरित है :</p> <p>परन्तु यह और कि यह छूट, ऐसी किसी धनराशि की रसीद या प्राप्ति की अभिस्वीकृति तक विस्तृत न होगी जो किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय अथवा ऐसी प्रस्थापित या आश्रित कम्पनी या निकाय में के शेयर के आबंटन पत्र लेखे या के स्क्रिप या उसमें के शेयरों लेखे किए गए आह्वान की बाबत या ऐसे डिबेंचर लेखे जो विपण्य प्रतिभूति है दी गई या निक्षिप्त की गई है ।</p> <p><sup>1</sup>[बीमा पालिसी [सं० 47ख(2)] भी देखिए ।]</p>	
<p>54. <b>बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण—</b></p>	
<p>(क) यदि प्रतिफल जिसके लिए सम्पत्ति बंधक की गई थी, 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ख) अन्य किसी मामले में</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम, जो वह प्रतिहस्तांतरण पत्र में उपवर्णित है, वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है ।</p> <p>दस रुपए ।</p>
<p>55. <b>निर्मुक्ति</b>, अर्थात्, कोई लिखत, <sup>2</sup>[(जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23क द्वारा उपबन्ध किया गया है)] जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है—</p>	
<p>(क) यदि दावे की रकम या मूल्य 1,000 से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ख) अन्य किसी मामले में</p>	<p>वही शुल्क जो ऐसी रकम या मूल्य जो उस निर्मुक्ति में उपवर्णित है, वाले बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है ।</p> <p>पांच रुपए</p>
<p>56. <b>जहाजी माल</b>, अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिए प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गन्तव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाश्रित है ।</p>	<p>वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध-पत्र (सं० 15) पर लगता है ।</p>
<p><b>किसी न्यास या व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण—</b></p>	
<p><b>व्यवस्थापन</b> (सं० 58); न्यास (सं० 64) देखिए ।</p>	
<p><sup>3</sup>[56क. डिबेंचरों से भिन्न प्रतिभूति (धारा 9क और धारा 9ख देखिए)—</p>	
<p>(क) डिबेंचरों से भिन्न प्रतिभूति का निर्गम</p> <p>(ख) परिदान के आधार पर डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूति का अंतरण</p> <p>(ग) अपरिदान के आधार पर डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूति का अंतरण</p>	

<sup>1</sup> 1906 के अधिनियम सं० 5 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> 1904 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा अंतःस्थापित ।

(1)	(2)
<p>(घ) व्युत्पाद—</p> <p>(i) भावी (साधारण शेयर और वस्तु)</p> <p>(ii) विकल्प (साधारण शेयर और वस्तु)</p> <p>(iii) करेंसी और व्याज दर व्युत्पाद</p> <p>(iv) अन्य व्युत्पाद</p> <p>(ङ) सरकारी प्रतिभूतियां</p> <p>(च) निगम बंधपत्रों पर रेपो</p>	<p>=</p>
<p><b>प्रतिभूति-बंधपत्र या बन्धक विलेख</b> जो किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है,—</p> <p>(क) जबकि प्रतिभूत रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ख) अन्य किसी मामले में</p>	<p>वही शुल्क जो प्रतिभूत रकम के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है।</p> <p>पांच रुपए</p>
<p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>बन्धपत्र या अन्य लिखत जबकि वह निष्पादित किया जाए—</p> <p>(क) बंगाल इरिगेशन ऐक्ट, 1876 (बंगाल अधिनियम 1876 का 3) की धारा 99 के अनुसार विरचित नियमों के अधीन उस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए नामनिर्दिष्ट मुखियाओं द्वारा ;</p> <p>(ख) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ;</p> <p>(ग) मुंबई इरिगेशन ऐक्ट, 1879 (मुंबई ऐक्ट 1879 का 5) की धारा 70 के अधीन [राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों की सं० 3 के अधीन निष्पादित किया गया है ;</p> <p>(घ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में ;</p> <p>(ङ) <sup>2</sup>[सरकार] के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए।</p>	
<p><b>58. व्यवस्थापन—</b></p>	

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् मुम्बई का गर्वनर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “क्राउन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p>क.—व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अन्तर्गत महर विलेख है)।</p> <p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया (क) महर विलेख।</p> <p style="text-align: center;">1* * * *</p>	<p>वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति की रकम या मूल्य के जो उस व्यवस्थापन-लिखत में उपवर्णित है, बराबर राशि के बंधपत्र (सं० 15) पर :</p> <p>परन्तु जहां कि व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत बाद में निष्पादित की गई है वहां ऐसी लिखत पर शुल्क आठ आने से अधिक नहीं होगा।</p>
<p>ख.—व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण—</p> <p>न्यास (सं० 64) भी देखिए।</p> <p><b>59. शेयर वारंट वाहक के लिए</b> <sup>2</sup>इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1882 (1882 का 6) के अधीन निर्गमित—</p>	<p>वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित है, बराबर राशि के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है, किन्तु जो दस रुपए से अधिक नहीं होगा।</p> <p>वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर संदेय शुल्क का <sup>3</sup>[डेढ़ गुना] शुल्क।</p>
<p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>शेयर अधिपत्र, जबकि वह किसी कम्पनी द्वारा <sup>1</sup>इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1882 (1882 का 6) की धारा 30 के अनुसरण में निर्गमित किया गया है स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन-धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी कर दी जाने पर प्रभावी होगा—</p> <p>(क) कम्पनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का <sup>2</sup>[डेढ़] प्रतिशत, या</p> <p>(ख) यदि कोई कम्पनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन-धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है, तो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का <sup>2</sup>[डेढ़] प्रतिशत।</p> <p><b>स्क्रिप—प्रमाणपत्र (सं० 19) देखिए।</b></p> <p><b>60. किसी जलयान</b></p> <p>के फलक पर माल का प्रवहण करने के वास्ते या माल का प्रवहण करने से सम्बन्धित पोत परिवहन आदेश।</p> <p><b>61. पट्टे का अभ्यर्पण—</b></p> <p>(क) जब कि पट्टे पर प्रभार्य शुल्क पांच रुपए से अधिक नहीं है,</p>	<p>एक आना।</p> <p>वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है।</p>

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीयच विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा छूट (ख) का लोप किया गया।

<sup>2</sup> देखिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)।

<sup>3</sup> 1910 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा “तीन चौथाई” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(1)	(2)
<p>(ख) किसी अन्य मामले में</p> <p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p>पट्टे का अभ्यर्पण जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई है।</p> <p><b>62. अन्तरण (चाहे वह प्रतिफल के सहित या बिना हो) —</b></p>	<p>पांच रुपए।</p>
<p>1*                      *                      *                      *</p> <p>1*                      *                      *                      *</p>	<p>*                      *                      *</p> <p>*                      *                      *</p>
<p>(ग) किसी हित का बन्धपत्र, बन्धक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत—</p> <p>(i) यदि ऐसे बन्धपत्र, बन्धक-विलेख या पालिसी पर शुल्क पांच रुपए से अधिक नहीं है ;</p> <p>(ii) किसी अन्य मामले में</p>	<p>वही शुल्क, जो ऐसे बन्धपत्र, बन्धक-विलेख या बीमा पालिसी पर प्रभार्य है।</p> <p>पांच रुपए।</p>
<p>(घ) 2एडमिनिस्ट्रेटर जनरल्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 2) की धारा 31 के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण</p> <p>(ङ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास-संपत्ति का प्रतिफल के बिना।</p> <p style="text-align: center;"><b>छूटें</b></p> <p>पृष्ठांकन द्वारा अंतरण—</p> <p>(क) जो विनिमय-पत्र, चैक या वचन-पत्र का,</p> <p>(ख) वहन-पत्र परिदान आदेश, माल को लिए वारण्ट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का ;</p> <p>(ग) बीमा पालिसी का है ;</p> <p>(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का है ;</p> <p>धारा 8 भी देखिए।</p>	<p>दस रुपए।</p> <p>पांच रुपए या ऐसी कम रकम जो इस अनुच्छेद के खंड (क) से (ग) के अधीन प्रभार्य है।</p>
<p><b>63. पट्टे का अंतरण समनुदेशन द्वारा न कि उपपट्टे द्वारा।</b></p> <p style="text-align: center;"><b>छूट</b></p> <p>शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण।</p> <p><b>64. न्यास—</b></p> <p>क.—की घोषणा किसी संपत्ति की या उसके बारे में जबकि विल से भिन्न लिखित रूप में की गई हो।</p> <p>ख.—का प्रतिसंहरण किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो।</p> <p>व्यवस्थापन (सं० 58) भी देखिए।</p>	<p>वही शुल्क जो अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।</p> <p>वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, जो लिखत में उपवर्णित है, बराबर राशि के बन्धपत्र (सं० 15) पर लगता है, किन्तु वह पन्द्रह रुपए से अधिक नहीं होगा।</p> <p>वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, जो लिखत में उपवर्णित है, बराबर राशि के बन्धपत्र (सं० 15) पर लगता है, किन्तु वह दस रुपए से अधिक नहीं होगा।</p>

<sup>1</sup> 2019 के अधिनियम सं० 7 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया।

<sup>2</sup> देखिए महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का 45)।

(1)	(2)
मूल्यांकन—आंकना (सं० 8) देखिए।	
वकील—वकील के रूप में प्रविष्टि (सं० 30) देखिए।	
<p>65. माल के लिए वारण्ट, अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है।</p>	चार आना।

**अनुसूची 2**—[अधिनियमितियां निरसित।]—निरसन तथा संशोधन अधिनियम 1914 (1914 का 10) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित।

---